अध्याय 1

राज्य शासन के वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

भारत के मध्य भाग में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य के विभाजन द्वारा नवम्बर 2000 में बना, जिसका क्षेत्रफल 1,35,192[1] वर्ग किमी है। यह भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का 10वां और जनसंख्या (2.55 करोड़) के दृष्टिकोण से 16वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की जनसंख्या 2001 में 2.08 करोड़ थी जो 22.61 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर से वर्ष 2011 में 2.55 करोड़ हो गई। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 47.90[2] था जो अखिल भारत के औसत 29.50 से ज्यादा था। वर्ष 2014–15 में राज्य का वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 2,10,192 करोड़ था। राज्य की साक्षरता दर 64.66 प्रतिशत (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) से बढ़कर 70.28 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) हो गया जो अखिल भारत के औसत 73.00 प्रतिशत (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार) से कम था। वर्ष 2014–15 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर राज्य का प्रति व्यक्ति आय ₹ 64,442 था। राज्य से संबंधित सामान्य आँकड़ा **परिशिष्ट 1.1 (भाग–अ)** में दिया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि में राज्य के अन्दर आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त समस्त उत्पादित अंतिम उत्पाद और सेवाओं का बाजार मूल्य है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचक है जो राज्य की आबादी के रहन–सहन के स्तर को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है:

वर्तमान मूल्यों पर कारक लागत पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
भारत का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	72,48,860	83,91,691	93,88,876	104,72,807	उपलब्ध नहीं
सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	18.66	15.77	11.88	11.54	उपलब्ध नहीं
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,19,420	1,44,112	1,65,641पी	1,85,682क्यू	2,10,192ए
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	20.18	20.68	14.94	12.10	13.20

(स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)
(ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान)

वर्ष 2014–15 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई जो 13वें वित्त आयोग में किए गए प्रावधान (12.50 प्रतिशत) से ज्यादा है। वर्ष 2010–11 से 2013–14[3] के दौरान छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से ज्यादा था। तृतीयक क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में निरंतर प्रभावकारी योगदान रहा जो वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 40.38 प्रतिशत रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के शेष 59.62 प्रतिशत में, 30.24 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र एवं 29.38 प्रतिशत द्वितीय क्षेत्र का योगदान था। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित क्षेत्रवार आँकड़े **परिशिष्ट 1.2** में दिये गये हैं।

1 छत्तीसगढ़ शासन, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रदत्त आँकड़े।

2 योजना आयोग (जून–2014), गरीबी की माप के लिए कियाविधि की समीक्षा के लिए विषेषज्ञ समूह (रंगराजन) के प्रतिवेदन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे।

3 2014–15 का जीडीपी आँकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण जीएसडीपी से तुलना नहीं किया जा सका।

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के वित्त का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह पूर्व वर्षों के समग्र प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए, पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संचयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को विश्लेषित करता है। यह विश्लेषण शासन से प्राप्त जानकारी एवं राज्य के वित्त लेखे के आधार पर किया गया है। शासन के लेखे की संरचना एवं रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1(ब)** में दर्शायी गई है और वित्त लेखे की रूपरेखा **परिशिष्ट 1.1 भाग (स)** में दर्शायी गई है।

राज्य के राजकोषीय स्थिति के आंकलन के लिए अपनायी गई पद्धति का वर्णन **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। राज्य शासन के वित्त के विगत पाँच वर्षों के समयबद्ध आँकड़े **परिशिष्ट 1.3** में दिये गये हैं।

1.1.1 वर्ष 2014–15 में राजकोषीय लेन देन का सारांश

तालिका 1.1, पिछले वर्ष (2013–14) के सापेक्ष चालू वर्ष (2014–15) के दौरान राज्य शासन के राजकोषीय लेन–देन के सारांश को दर्शाता है, जबकि **परिशिष्ट 1.4 (भाग अ एवं ब)** चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.1: वर्ष 2014–15 में राजकोषीय प्रचालन का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
अनुभाग अ: राजस्व	2013–14	2014–15	अनुभाग अ: राजस्व	2013–14	2014–15		
					आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
राजस्व प्राप्तियाँ	**32,050.26**	**37,988.01**	**राजस्व व्यय**	**32,859.57**	**18,571.27**	**20,990.02**	**39,561.29**
कर राजस्व	14,342.71	15,707.26	सामान्य सेवाएं	7,851.15	8,966.39	75.19	9041.58
कर भिन्न राजस्व	5,101.17	4,929.91	सामाजिक सेवाएं	14,282.10	4,773.90	10,614.95	15,388.85
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	7,880.22	8,363.03	आर्थिक सेवाएं	9,755.93	3,852.34	10,299.88	14,152.22
भारत सरकार से अनुदान	4,726.16	8,987.81	सहायता अनुदान/अंशदान	970.39	978.64	0.00	978.64
अनुभाग ब: पूंजीगत							
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	**7.64**	**3.03**	**पूंजीगत व्यय**	**4,574.19**	9.59	6534.66	**6,544.25**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	**1,637.27**	**194.86**	**संवितरित ऋण तथा अग्रिम**	**1,318.53**	———	———	**88.32**
अंतर्राज्यीय समायोजन	**5.14**	**0.91**	**अंतर्राज्यीय समायोजन**	**5.30**	———	———	**1.22**
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**3,931.89**	**6,439.67**	**लोक ऋण अदायगी**	**689.65**	———	———	**1,336.73**
आकस्मिकता निधि	**0.00**	**0.00**	**आकस्मिकता निधि**	**0.00**	———	———	**0.00**
लोक लेखा प्राप्तियाँ	**45,867.54**	**51,321.89**	**लोक लेखा संवितरण**	**43,434.15**	———	———	**49,933.47**
प्रारंभिक रोकड़ शेष	**2,116.94**	**2,735.29**	**अंतिम रोकड़शेष**	**2,735.29**	———	———	**1,218.38**
योग	**85,616.68**	**98,683.66**	**योग**	**85,616.68**	**———**	**———**	**98,683.66**

(स्रोतः राज्य शासन के वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे)

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैः

राजस्व प्राप्तियाँ	• ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की वृद्धि • भारत सरकार से अनुदान में ₹ 4,262 करोड़ (90.17 प्रतिशत) की वृद्धि
राजस्व व्यय	₹ 6,702 करोड़ (20.40 प्रतिशत) की वृद्धि • आयोजना व्यय में ₹ 7,240 करोड़ (52.66 प्रतिशत) की वृद्धि • आयोजनेत्तर व्यय में ₹ 539 करोड़ (2.82 प्रतिशत) की कमी
पूंजीगत व्यय	• ₹ 1970 करोड़ (43.07 प्रतिशत) की वृद्धि
ऋण तथा अग्रिम	• वसूली में ₹ 1442 करोड़ (88.10 प्रतिशत) की कमी • संवितरण में ₹ 1,230 करोड़ (93.30 प्रतिशत) की कमी
लोक ऋण	• प्राप्तियों में ₹ 2,508 करोड़ (63.78 प्रतिशत) की वृद्धि • भुगतान में ₹ 647 करोड़ (93.83 प्रतिशत) की वृद्धि
लोक लेखा	• प्राप्तियों में ₹ 5,454 करोड़ (11.89 प्रतिशत) की वृद्धि • भुगतान में ₹ 6,499 करोड़ (14.96 प्रतिशत) की वृद्धि • निवल लोक लेखे प्राप्तियाँ में ₹ 1,045 करोड़ (16.08 प्रतिशत) की कमी
नगद शेष	• ₹ 1,517 करोड़ (55.46 प्रतिशत) की कमी

1.1.2.राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुपालन में, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (एफआरबीएम अधिनियम), सितंबर 2011 में संशोधित, राजस्व घाटे के क्रमिक उन्मूलन, राजकोषीय घाटे में कमी, दक्षपूर्ण ऋण प्रबंधन के साथ राजकोषीय स्थिरता तथा शासन के राजकोषीय प्रचालनों में अधिक पारदर्शिता एवं मध्यावधि राजकोषीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन तथा राजकोषीय स्थिरता में दक्षता सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया।

तेरहवें वित्त आयोग ने एक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण मानचित्र निर्धारित किया था, जिसके अनुसार वर्ष 2007–08 में जिन राज्यों का राजस्व घाटा शून्य था अथवा उन्होंने राजस्व आधिक्य प्राप्त कर लिया था उनके लिये यह आवश्यक था कि वे वर्ष 2011–12 तक राजस्व घाटे को समाप्त करें तथा तत्पश्चात राजस्व शेष को बनाये रखें अथवा आधिक्य प्राप्त करें। साथ ही, सामान्य श्रेणी के राज्य जिन्होंने 2007–08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व आधिक्य को प्राप्त कर लिया उन्हें वर्ष 2012–13 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करना चाहिए एवं इसके पश्चात इसे बनाए रखना चाहिए। राज्यों के लिए यह भी आवश्यक था कि वे अपने एफआरबीएम अधिनियम का संशोधन सुधार क्रम के अनुरूप करें। वर्ष 2007–08 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 3,039 करोड़ का था।

राज्य शासन ने सितम्बर 2011 में छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2011 पारित किया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य शासनः

- वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ कर, वर्ष 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष शून्य राजस्व घाटा बनाये रखेगा,
- वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ कर 2014–15 तक, प्रत्येक वर्ष वास्तविक राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक बनाये रखेगा,
- कुल बकाया ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में बनाये रखेगा तथा;
- वर्ष 2011–12 से प्रारम्भ कर किसी वित्तीय वर्ष के लिए अतिरिक्त कुल दायित्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

वर्ष 2014–15 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसाकि राज्य के एफआरबीएम अधिनियम, एमटीएफपी, 13वें वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है **तालिका 1.2** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.2: वर्ष 2014–15 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	2014–15				
	13वें वित्त आयोग के लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम में प्रस्तावित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	एमटीएफपीएस में प्रावधान	वास्तविक
राजस्व घाटा (–)/ आधिक्य (+)	0.00	0.00	(+) 2,463.51	(+) 2,463.51	(–) 1,573.28
राजकोषीय घाटा(–)/आधिक्य (+)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	(–) 5,760.93	(–) 5,760.93	(–) 8,008.27 (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.81 प्रतिशत)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया	23.90	23.90	बजट में उल्लेखित नहीं	15.53	14.83

(स्रोतः एफआरबीएम अधिनियम दस्तावेज, 13वें वित्त आयोग प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज एवं राज्य वित्त लेखे 2014–15)

जैसा कि **तालिका 1.2** से स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य में 13वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम द्वारा निर्धारित लक्ष्य शून्य राजस्व घाटा के विरूद्ध ₹ 1,573.28 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। वर्ष 2014–15 के दौरान बजट अनुमान एवं मध्यावधि राजकोषीय नीति में ₹ 2,463.51 करोड़ का राजस्व अधिक्य का प्रावधान किया गया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय में ₹ 6,702 करोड़ (20.40 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो राजस्व प्राप्तियाँ में ₹ 5,938 करोड़ (18.53 प्रतिशत) की वृद्धि से ज्यादा था, जिससे राजस्व घाटा की स्थिति उत्पन्न हुई।

वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा (₹8,008 करोड़) वर्ष 2013–14 में ₹ 5,057 करोड़ से ₹ 2,951 करोड़ बढ़ गया जिसका मुख्य कारण राजस्व घाटा का वर्ष 2013–14 में ₹ 809 करोड़ की स्थिति से स्थानांतरित होकर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,573 करोड़ होना एवं पूंजीगत व्यय का वर्ष 2013–14 में ₹ 4,574 करोड़ से ₹ 1,970 करोड़ बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,544 करोड़ होना था। वर्ष 2014–15 के दौरान, राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 3.81 था जो 13वें वित्त आयोग के प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

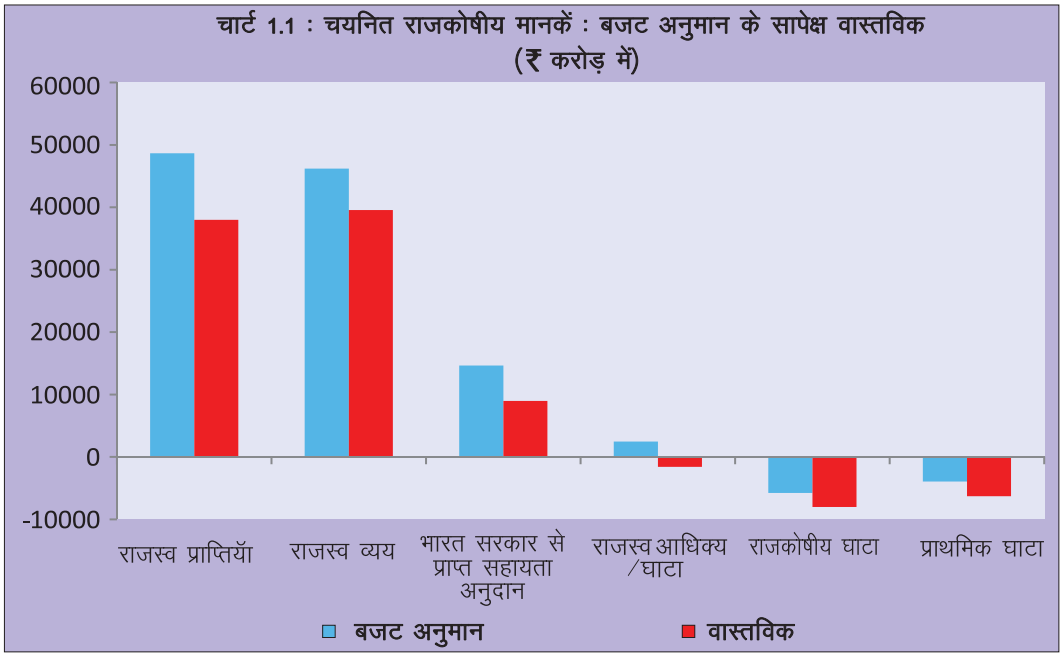
कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में 14.83 प्रतिशत था जो कि 13वें वित्त आयोग एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण (23.90 प्रतिशत) तथा एमटीएफपीएस (15.53 प्रतिशत) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्दर था।

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का कुल अतिरिक्त दायित्व ₹ 6,277 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.99 प्रतिशत) था, जो एफआरबीएम अधिनियम में दिये गये पाँच प्रतिशत की सीमा के अन्दर था।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविकताएँ

राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत बजट अभिलेख एक विशिष्ट राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के प्रायोजनों एवं अनुमानों का विवरण प्रस्तुत करता है। समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के परिपेक्ष्य में, राजस्व एवं व्यय के आंकलन में शुद्धता की महत्ता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की विभिन्न कारणों से जिनमें से कुछ शासन के नियंत्रण में है तथा कुछ नियंत्रण के बाहर है, की अप्राप्ति तथा अनुप्रयोग को इंगित करता है। वर्ष 2014–15 के लिए बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1 वर्ष 2014–15 के लिए कुछ महत्व पूर्ण राजकोषीय मापदण्डों हेतु बजट अनुमान एवं वास्तविक स्थिति का तुलनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है।



(स्रोतः राज्य शासन के वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे एवं राज्य का वर्ष 2014–15 का बजट अनुमान)

ऊपर दिया गया चार्ट यह दर्शाता है कि वर्ष 2014–15 के लिए वास्तविक प्राप्तियाँ एवं व्यय राज्य शासन के बजट अनुमान से कम था।

वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में ₹ 10,666 करोड़ (22 प्रतिशत) की कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान से स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व में ₹ 3,474 करोड़ (14 प्रतिशत) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 5,674 (39 प्रतिशत) करोड़ की कम प्राप्ति थी।

वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 6,630 करोड़) की कमी का मुख्य कारण बजट अनुमान के विरूद्ध वास्तविक व्यय के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं में ₹ 3,363 करोड़ (18 प्रतिशत) एवं आर्थिक सेवाओं में ₹ 3,767 करोड़ (21 प्रतिशत) की कमी थी। यद्यपि, सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत बजट अनुमान के विरूद्ध ₹ 502 करोड़ (छः प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

राज्य का वास्तविक पूंजीगत व्यय बजट अनुमान से ₹ 1,803 करोड़ कम था। इसका मुख्य कारण सामाजिक सेवाओं में ₹ 491 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं में ₹ 1,307 करोड़ का कम व्यय था, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, राजस्व आधिक्य ₹ 2,464 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तव में ₹ 1,573 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ। राजकोषीय घाटा ₹ 5,761 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्तविक ₹ 8,008 करोड़ था। प्राथमिक घाटा ₹ 3,939 करोड़ निर्धारित था, लेकिन वास्वविक ₹ 6,281 करोड़ था।

1.1.4 जेण्डर बजट

राज्य का जेण्डर बजट सम्पूर्ण बजट के अन्तर्गत उन प्रस्तावित योजनाओं पर व्यय को दर्शाता है, जो महिलाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लाभान्वित करने के लिए बनाया गया है। जेण्डर बजट का पृथक भाग बजट (2014–15) के साथ प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न योजनाओं में महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित बजट प्रावधान का उल्लेख किया गया। जेण्डर बजट अभिलेख के अनुसार, जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो वर्गों में विभक्त किया गये थे–(1) वे योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे, तथा (2) वे योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2014–15 के दौरान, महिलाओं के लाभार्थ 16 विभागों[4] में (वर्ग–1:24 योजनाएं एवं वर्ग–2:104 योजनाएं) बजट प्रावधान किये गये थे।

बजट दस्तावेज के अनुसार बजट अनुमानों, विनियोग लेखे के अनुसार निधि का प्रावधान तथा वर्ग (1) के लिए 24 योजनाओं के संदर्भ में वास्तविक व्यय के विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिये गये हैं।

- वर्ष 2014–15 के जेण्डर बजट के अनुसार, 24 योजनाओं हेतु जैसा कि **परिशिष्ट 1.6** में वर्णित है ₹ 927.49 करोड़ का अनुमानित प्रावधान किया गया था, जिसके विरूद्ध वास्तविक रूप से ₹ 951.81 करोड़ उपलब्ध किया गया था तथा ₹ 900.29 करोड़ का व्यय किया गया था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान बालिका प्रोत्साहन के लिए ₹ 8.50 करोड़ का कुल प्रावधान भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण पुनर्विनियोजन किया गया।

जेण्डर बजट के शुरूआत होने के बाद इस पर किसी प्रकार का विश्लेषण होने के संदर्भ में पुछे जाने (जनवरी 2015) पर संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग (नोडल एजेंसी) द्वारा बताया गया कि इस विभाग द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया एवं आगे यह भी बताया गया कि जेण्डर बजट को नियंत्रित करने के लिए कोई पृथक कक्ष नहीं स्थापित किया गया।

1.2 राज्य के संसाधन

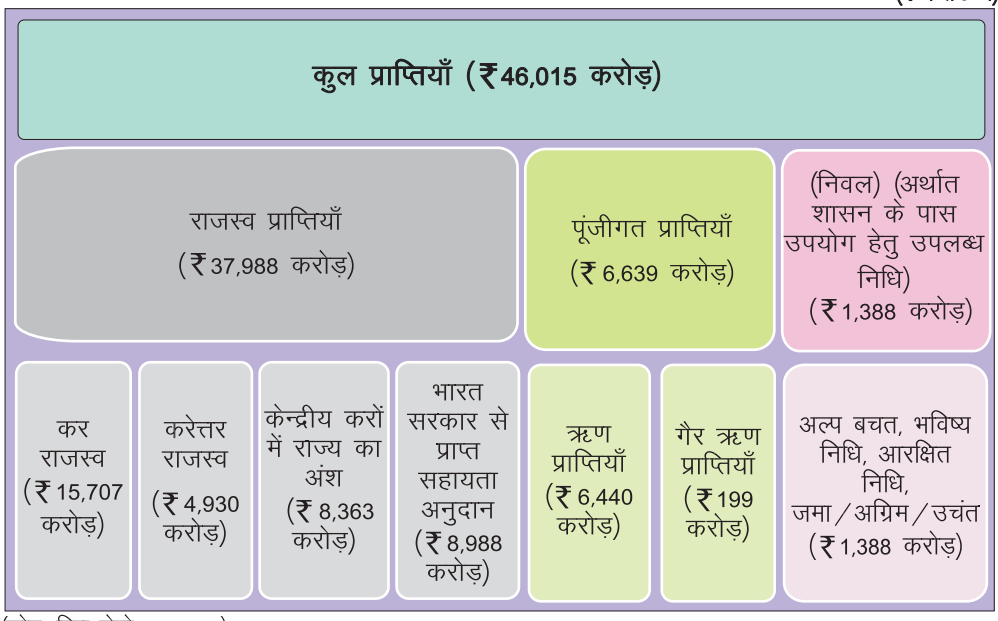
1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व तथा पूंजी, प्राप्तियों के दो धाराएं हैं जिनमें राज्य शासन के संसाधन समाविष्ट है। राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे–विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अंग्रिमों की वसूली, आंतरिक

[4] कृषि विभाग, पशु–पालन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, वन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, स्कूल शिक्षा, सामाजिक कल्याण विभाग, खेलकूद एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, ग्राम औद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग।

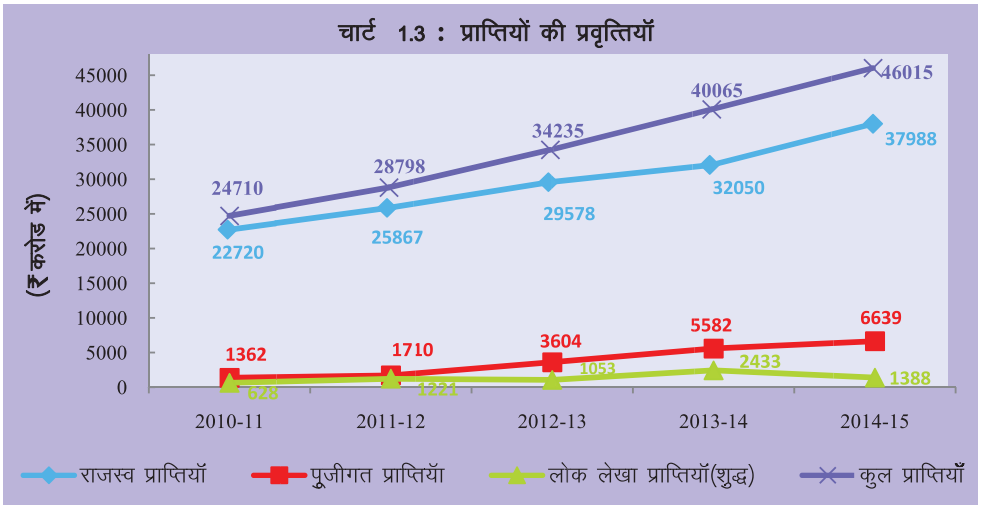
स्रोत से ऋण प्राप्ति (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में संवितरण के पश्चात उपलब्ध धनराशि का उपयोग भी शासन अपने घाटे के वित्तीय पूर्ति के लिये करता है। **तालिका 1.1** (पृष्ठ क्रमांक 2) वर्ष 2014–15 में राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों, जैसा कि इसके वार्षिक वित्तीय लेखे में अंकित है, को प्रस्तुत करता है। **चार्ट 1.2** में वर्ष 2014–15 में राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उप–घटकों को प्रदर्शित करने वाला फ्लोचार्ट प्रस्तुत किया गया है जो वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना का चित्रण करता है।

चार्ट 1.2: राज्य के संसाधनों के घटकों एवं उपघटकों का फ्लोचार्ट (₹ करोड में)



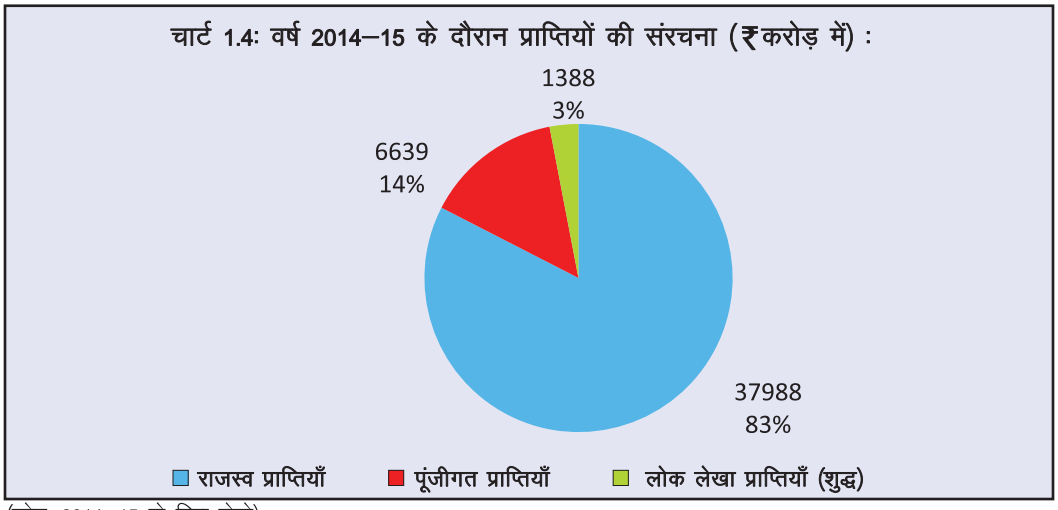
(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

चार्ट 1.3 अवधि 2010–15 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

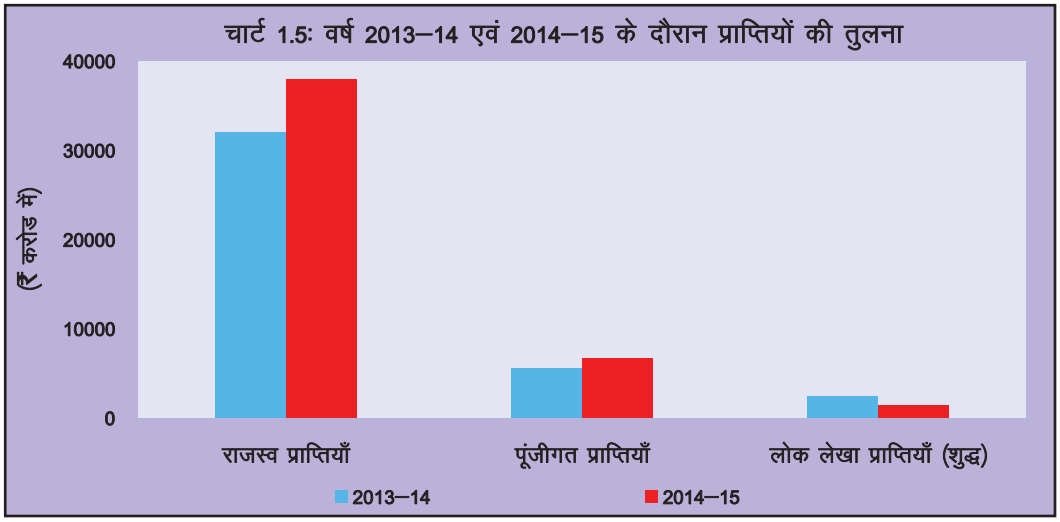


(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4 वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के प्राप्तियों के संरचना को उल्लेखित करता है और **चार्ट 1.5** वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के लिए प्राप्तियों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



(स्रोतः 2014–15 के वित्त लेखे)



(स्रोतः वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के वित्त लेखे)

चार्ट 1.2 से **चार्ट 1.5** में यह देखा जा सकता है कि:

- राज्य की कुल प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 24,710 करोड़ से ₹ 21,305 करोड़ (86 प्रतिशत) बढ़कर 2014–15 में ₹ 46,015 करोड़ हो गया जिसका मुख्य कारण राजस्व प्राप्तियों में ₹ 15,268 करोड़, पूंजीगत प्राप्तियों में ₹ 5,277 करोड़ एवं शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों में ₹ 760 करोड़ की वृद्धि थी।

- वर्ष 2010–15 के दौरान, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 80 प्रतिशत से 92 प्रतिशत के बीच अस्थिर रहा।

- वर्ष 2014–15 में ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसका कारण पिछले वर्ष की तुलना में आन्तरिक ऋण में वृद्धि थी।

- शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियाँ वर्ष 2013–14 में ₹ 2,433 करोड़ से घटकर 2014–15 में ₹ 1,388 करोड़ हो गया।

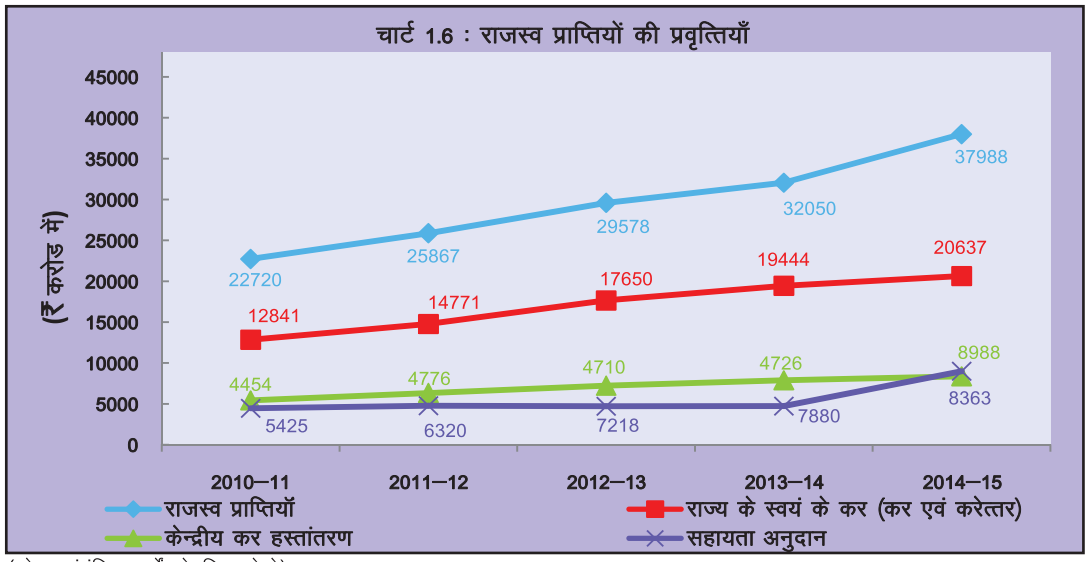
1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि का हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों

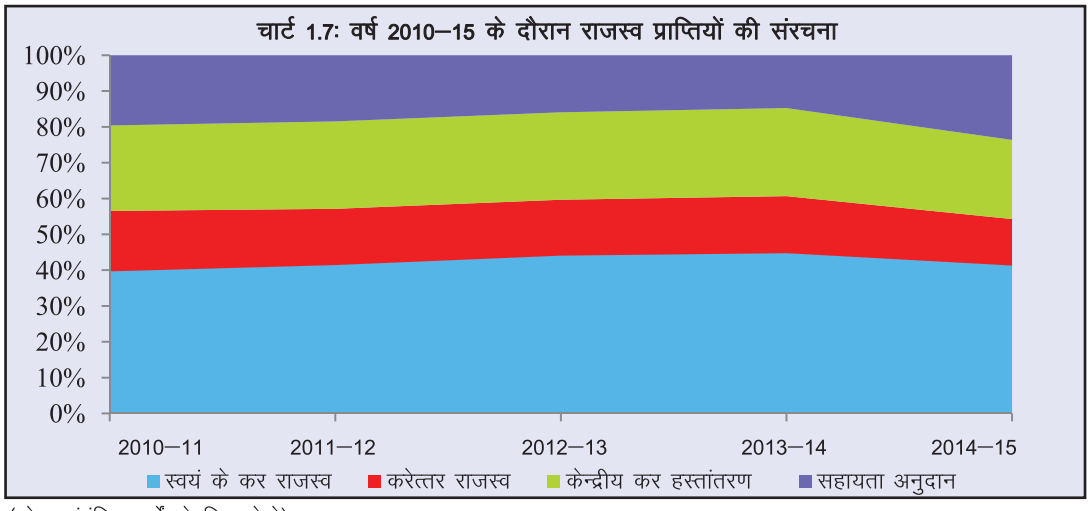
को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जो महत्वपूर्ण के रूप में स्वीकार किया गया था और ये निधियाँ राज्य के बजट/राज्य कोष प्रणाली से संचरित नहीं होते थे। इसलिए, इन निधियों के व्यय को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था। अतएव, वार्षिक वित्त लेखा राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। यद्धपि, भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय किया गया है और राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित राशि को कम कर वर्ष 2014–15 में ₹ 335.65 करोड़ कर दिया है, जो वर्ष 2013–14 (₹ 4,046.30 करोड) की तुलना में 91.70 प्रतिशत कम है।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण क्रमांक 14, शासन के राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य का स्वयं के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय करों का हस्तांतरण एवं भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल है। अवधि 2010–15 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की संरचना तथा प्रवृत्तियाँ **परिशिष्ट 1.3** एवं **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है और राजस्व प्राप्तियों की संरचना का प्रतिशत **चार्ट 1.7** में दर्शाया गया है।



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण प्रकट करता है कि:

- राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2010–11 में ₹ 22,720 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 37,988 करोड़ की प्रगामी वृद्धि देखी गई। पिछले वर्ष में ₹ 2,472 करोड़ (आठ प्रतिशत) की वृद्धि की तुलना में 2014–15 में ₹ 5,938 करोड़ (19 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

- जबकि, 2014–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 54 प्रतिशत राज्य के स्वयं के संसाधन जिसमें कर एवं करेत्तर राजस्व शामिल हैं, से प्राप्त हुआ। शेष 46 प्रतिशत में केंद्रीय कर हस्तांतरण एवं सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 के दौरान कर राजस्व में 10 प्रतिशत (₹ 1,364 करोड़), भारत सरकार से संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश में छः प्रतिशत (₹ 483 करोड़) तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में 90 प्रतिशत (₹ 4,262 करोड़) की वृद्धि एवं करेत्तर राजस्व में तीन प्रतिशत (₹ 171 करोड़) की कमी के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में कुल 19 प्रतिशत (₹ 5,938 करोड़) की वृद्धि हुई।

भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 4,262 करोड़ (90 प्रतिशत) की वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा राज्य बजट से निधि को मुक्त करना था जो पहले राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित होता था तथा राज्य बजट में सम्मिलित नहीं होता था।

जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति **तालिका 1.3** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	**22,720**	**25,867**	**29,578**	**32,050**	**37,988**
राजस्व प्राप्तियाँ की वृद्धि दर	25.15	13.86	14.35	8.36	**18.53**
राज्य के स्वयं के कर	9,005	10,712	13,034	14,343	**15,707**
राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर	26.42	18.96	21.68	10.04	**9.51**
सकल घरेलू उत्पाद[5] (₹ करोड़ में)	1,19,420	1,44,112	1,65,641पी	1,85,682क्यू	**2,10,192ए**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	20.18	20.68	14.94	12.10	**13.20**
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.03	17.92	18.09	17.32	**18.07**
उत्प्लावकता अनुपात[6]					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.25	0.67	0.96	0.69	**1.40**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर उत्प्लावकता	1.31	0.92	1.45	0.83	**0.72**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
(ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थयी अनुमान)

- वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 8.36 एवं 25.15 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2014–15 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

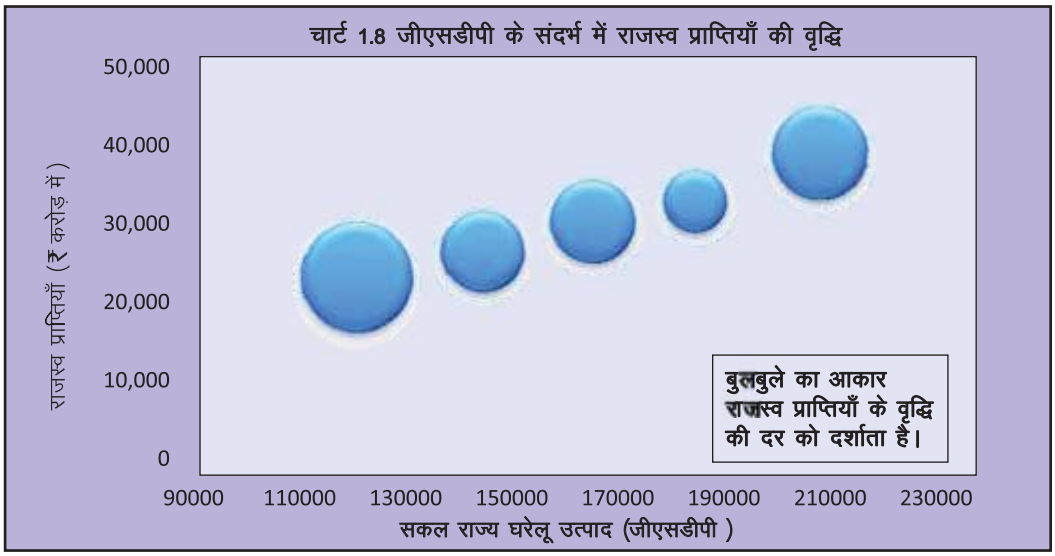
[5] विगत वर्ष से जीएसडीपी के आकड़ों में परिवर्तन किया गया है। यह आकड़ें वर्ष 2011–12 में ₹ 1,44,382 करोड़, वर्ष 2012–13 में ₹ 1,63,461 करोड़ तथा वर्ष 2013–14 में ₹ 1,85,060 करोड़ थे। अतएव उत्पलावक्ता के आंकड़ों में भी परिवर्तन हुआ है।

[6] उत्प्लावकता अनुपात दिए गये आधार चर के सापेक्ष राजकाषीय चर के लोच या जवाबदेही की प्रमात्रा को इंगित करता है उदाहरण के लिये यदि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो राजस्व उत्प्लावकता बिन्दु 0.6 प्रतिशत की ओर उन्मुख होगी।

- राजस्व उत्प्लावकता, जो सीधे राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के समानुपाती है, अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाया तथा 0.67 एवं 1.40 के मध्य रहा। यह 2014–15 में अपने उच्चतम स्तर 1.40 पर रहा जिसका कारण पिछले वर्ष (आठ प्रतिशत) की तुलना में राजस्व प्राप्ति (19 प्रतिशत) की वृद्धि दर में वृद्धि था।

- वर्ष 2010–15 की अवधि में राज्य के स्वयं के कर राजस्व उत्प्लावकता भी अस्थिर रहा जिसका कारण कर राजस्व की वृद्धि एवं उत्प्लावकता अनुपात में अस्थिरता था, जो वर्ष 2012–13 में अपने उच्चतम स्तर 1.45 पर था तथा वर्ष 2014–15 में अपने निम्नतम स्तर 0.72 पर पहुंच गया।

चार्ट 1.8 कुल राजस्व प्राप्तियाँ एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर वृद्धि के बावजूद राजस्व के वृद्धि की दर के अस्थिर प्रवृत्ति को दर्शाता है।



ऊपर के चार्ट से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि राज्य का राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ स्थिरता से वृद्धि कर रहा है, फिर भी राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि की दर असमान है।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय करों एवं सहायता अनुदानों में राज्य के हिस्सों का निर्धारण होता है, संसाधनों के संग्रहण में गति प्रदान हेतु राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधन, जिसमें स्वयं के कर तथा करेत्तर स्रोत शामिल है, के संबंध में किया गया।

वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य के वास्तविक कर एवं करेत्तर प्राप्तियों का 13वें वित्त आयोग द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं बजट अनुमानों के विरूद्ध तुलनात्मक विवरण **तालिका 1.4** एवं **तालिका 1.5** तथा **चार्ट 1.9** में भी दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: कर राजस्व तथा करेत्तर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	13वें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	एफआरबीएम प्रकटीकरण	वास्तविक
राज्य के स्वयं का कर राजस्व	14,327	17,926	17,926	15,707
राज्य का करेत्तर राजस्व	2,983	6,185	6,185	4,930

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15, एफआरबीएम दस्तावेज, बजट अभिलेख तथा तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन)

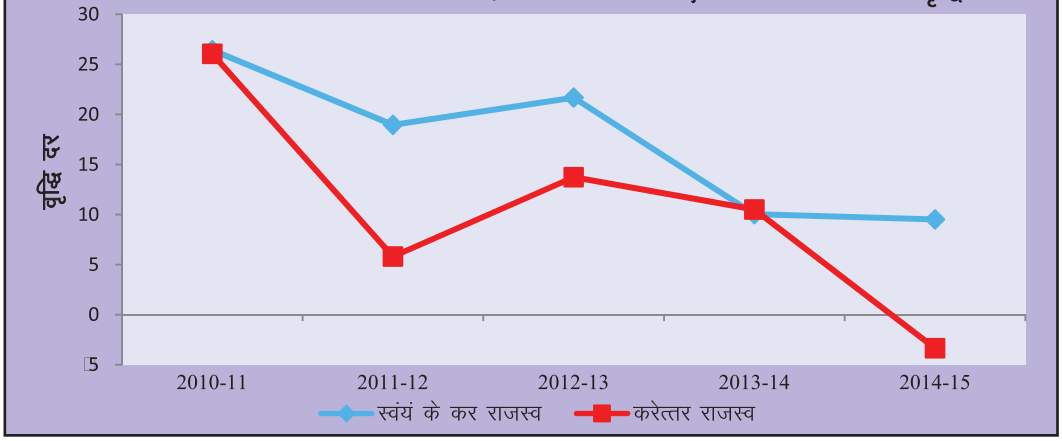
तालिका 1.5: वर्ष 2010–15 के दौरान कर/करेत्तर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
स्वयं का कर राजस्व	9,005	10,712	13,034	14,343	15,707
वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.42	18.96	21.68	10.04	9.51
करेत्तर राजस्व	3,836	4,058	4,616	5,101	4,930
वृद्धि दर (प्रतिशत)	26.06	5.81	13.74	10.51	(–)3.35

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.9 : वर्ष 2010–15 के दौरान स्वंय के कर एवं करेत्तर राजस्व की वृद्धि



चालू वर्ष के दौरान, राज्य के स्वयं के कर राजस्व 13वें वित्त आयोग (₹ 14,327 करोड़) से ज्यादा था, लेकिन एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 17,926 करोड़) एवं बजट अनुमान (₹ 17,926 करोड़) से कम था। बजट अनुमान के विरूद्ध कम उपलब्धि का मुख्य कारण मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर एवं वाहन पर कर का कम संग्रहण था। इन मदों के अंतर्गत बजट अनुमान क्रमशः ₹ 1,250 करोड़, ₹ 9,800 करोड़, ₹ 1,335 करोड़ एवं ₹ 800 करोड़ के विरूद्ध वास्तविक संचयन क्रमशः ₹ 1,023 करोड़, ₹ 8,429 करोड़, ₹ 982 करोड़ एवं ₹ 703 करोड़ था। **(परिशिष्ट 1.5)**

इसी तरह, राज्य का करेत्तर राजस्व बजट अनुमान एवं एफआरबीएम प्रकटीकरण से ₹ 1,255 करोड़ कम था परन्तु 13वें वित्त आयोग के आँकलन से ₹ 1,947 करोड़ ज्यादा था।

1.3.1.1 स्वयं के कर राजस्व

विगत पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

तालिका 1.6: स्वयं के कर राजस्व का क्षेत्रवार घटक

(₹ करोड़ में)

स्वयं के कर राजस्व घटक	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2014–15 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	4,841	6,006	6,929	7,930	8,429	06
राज्य आबकारी	1,506	1,597	2,486	2,549	2,892	13
वाहन पर कर	428	502	592	651	703	08
मुंद्राक एवं पंजीयन शुल्क	786	846	952	990	1,023	03

1	2	3	4	5	6	7
भू–राजस्व	247	271	234	226	332	47
माल एवं यात्रियों पर कर	675	826	954	945	982	04
अन्य कर[7]	522	664	887	1,052	1,346	28
योग	**9,005**	**10,712**	**13,034**	**14,343**	**15,707**	
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	26.42	18.96	21.68	10.04	9.51	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2010–15 के दौरान स्वयं के कर की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो 9.51 प्रतिशत एवं 26.42 प्रतिशत के मध्य रही। इसके अतिरिक्त, कर राजस्व की वृद्धि दर में वर्ष 2012–13 में 21.68 प्रतिशत से लगातार कमी होकर 2014–15 में 9.51 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष (₹ 14,343 करोड़) की तुलना में 2014–15 (₹ 15,707 करोड़) के दौरान कर राजस्व में ₹ 1,364 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 499 करोड़), विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹ 293 करोड़), राज्य आबकारी (₹ 343 करोड़), भूमि राजस्व (₹ 106 करोड़) एवं वाहनों पर कर (₹ 52 करोड़) में वृद्धि था।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व प्राप्तियों की संरचना का विस्तृत विवरण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: करेत्तर राजस्व की संरचना

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
ब्याज प्राप्तियाँ	170.95	216.57	243.13	380.90	171.89	(–)55
लाभांश एवं लाभ	4.30	0.46	2.19	14.21	0.86	(–)94
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	3,660.07	3,841.45	4,370.63	4,706.06	4,757.16	01
कुल करेत्तर राजस्व	**3,835.32**	**4,058.48**	**4,615.95**	**5,101.17**	**4,929.91**	**(–)03**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 3,835 करोड़ से ₹ 1,095 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 4,930 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष से 2014–15 के दौरान, करेत्तर राजस्व में तीन प्रतिशत (₹ 171 करोड़) की कमी हुई जिसका मुख्य कारण लघु सिंचाई से प्राप्तियों में ₹ 281 करोड़, वन एवं वन्य प्राणी से प्राप्तियों में ₹ 57 करोड़ और ब्याज प्राप्तियों में ₹ 209 करोड़ की कमी थी।

लघु सिंचाई प्राप्तियों की कमी का मुख्य कारण पिछले वर्ष की तुलना में सिंचाई प्राप्तियों की वसूली में कमी थी। वन एवं वन्य प्राणियों से प्राप्ति में कमी का कारण राजस्व की वापसी में इस वर्ष वृद्धि था एवं ब्याज प्राप्तियों में कमी का कारण अंत शेष निवेश पर ऋण तथा नगर स्थानीय निकास से ऋण पर ब्याज में कमी थी।

वर्ष 2014–15 के दौरान, ब्याज प्राप्तियाँ 2013–14 में ₹ 381 करोड़ से घटकर 2014–15 में ₹ 172 करोड़ हो गया। अवधि 2010–11 से 2014–15 के दौरान लाभांश एवं लाभ में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो ₹ 0.46 करोड़ से ₹ 14.21 करोड़ के मध्य रहा। यद्यपि, अन्य करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ 2010–11 में ₹ 3,660 करोड़ से बढ़कर 2014–15 के दौरान ₹ 4,757 करोड़ हो गया।

कुल करेत्तर राजस्व (₹ 4,930 करोड़) में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों (₹ 3,573 करोड़) का योगदान 72 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष की तुलना में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों का करेत्तर राजस्व (₹ 337 करोड़) की वृद्धि 10.40 प्रतिशत थी।

[7] अन्य कर–होटल प्राप्तियाँ, आय एवं व्यय पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा सेवाओं एवं सामग्रियों पर कर एवं शुल्क।

1.3.2 कर के संग्रहण की लागत

वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2014–15 की अवधि में प्रमुख करों एवं शुल्कों का सकल संग्रहण तथा संग्रहण पर किये गये व्यय **तालिका 1.8** में दिये गये हैं।

तालिका 1.8: करों एवं शुल्कों के संग्रहण का लागत

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रहण (₹ करोड़ में)	राजस्व के संग्रहण पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	विगत वर्षों का अखिल भारतीय औसत प्रतिशत
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट	2012–13	6,928.65	37.42	0.54	0.83
	2013–14	8,894.01	41.40	0.47	0.73
	2014–15	8,428.61	48.55	0.58	0.88
वाहन पर कर	2012–13	591.75	10.73	1.81	2.96
	2013–14	655.35	7.48	1.14	4.17
	2014–15	703.48	12.42	1.77	6.25
राज्य आबकारी	2012–13	2,485.68	46.63	1.88	2.98
	2013–14	2,578.19	53.22	2.06	2.96
	2014–15	2,892.45	59.74	2.07	1.81
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	2012–13	951.65	17.27	1.81	1.89
	2013–14	989.35	13.87	1.40	3.25
	2014–15	1,023.33	27.00	2.64	3.37

(स्रोतः महालेखकार (लेखापरीक्षा) के राजस्व लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा संकलित जानकारी)

तालिका 1.8 से यह देखा जा सकता है कि, 2014–15 के दौरान बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/वैट, वाहनों पर कर तथा मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क पर कर के संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से कम था। यद्यपि, राज्य अबकारी का संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत अखिल भारतीय औसत से ज्यादा था।

1.3.3 भारत सरकार से सहायता अनुदान

आयोजनेत्तर, राज्य आयोजना, केन्द्र आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्ति **तालिका 1.9** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.9: भारत सरकार से प्राप्त घटकवार सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5	6
आयोजनेत्तर अनुदान	1,397.45	1,545.07	1,227.29	1,415.78	1,568.28
राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	2,169.91	1,930.51	2,112.69	2,121.47	6,435.44
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	47.95	61.75	107.28	43.34	131.73
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	838.58	1,238.88	1,263.07	1,145.57	852.35
योग	**4,453.89**	**4,776.21**	**4,710.33**	**4,726.16**	**8,987.80**
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	23.49	7.24	(–) 1.38	0.34	90.17
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	19.60	18.46	15.93	14.75	23.66
राजस्व प्राप्तियाँ	22,720	25,867	29,578	32,050	37,988

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वर्ष 2014–15 के दौरान, भारत सरकार से सहायता अनुदान ₹ 8,988 करोड़ हो गया जो 2013–14 में ₹ 4,726 करोड़ से (90 प्रतिशत) बढ़ गया जिसका मुख्य कारण 2014–15 के दौरान राज्य बजट से निधियों को संचरित करना था जो पहले सीधे क्रियान्वयन एजेंसी को मुक्त किया जाता था।

- भारत सरकार से आयोजनेत्तर अनुदान वर्ष 2013–14 में ₹ 1,416 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,568 करोड़ हो गया।

- राज्य आयोजना अनुदान वर्ष 2013–14 में ₹ 2,121 करोड़ से से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,435 करोड़ हो गया जिसका कारण ब्लॉक अनुदान में ₹ 1,831 करोड़ एवं अन्य अनुदान में ₹ 2,518 करोड़ की वृद्धि थी।

- वर्ष 2013–14 की तुलना में 2014–15 में केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं में ₹ 88 करोड़ की वृद्धि हुई।

- पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान में ₹ 293 करोड़ की कमी हुई।

1.3.4 केंद्रीय कर अंतरण

वर्ष 2014–15 के दौरान, केंद्रीय कर अंतरण वर्ष 2013–14 के ₹ 7,880 करोड़ के विरूद्ध ₹ 8,363 करोड़ हो गया। राज्य का केंद्रीय कर अंतरण पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 483 करोड़ (छः प्रतिशत) बढ़ा। यह वृद्धि मुख्यतः निगम कर के अतिरिक्त अन्य करों पर कर (₹ 340 करोड़), निगम कर (₹ 270 करोड़) तथा सीमा शुल्क (₹ 67 करोड़) में वृद्धि के कारण था। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में सेवा कर (₹ 51 करोड़) तथा केंद्रीय सीमा शुल्क (₹ 144 करोड़) में कमी दर्ज किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान केंद्रीय कर अंतरण राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 22 प्रतिशत था।

1.3.5 तेरहवें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

राज्य सरकारों के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार हेतु, 13वें वित्त आयोग ने अनुदानों की अनुशंसा की। वित्त लेखे 2014–15 के विवरण क्रमांक 14 के अनुसार, राज्य शासन ने वित्त आयोग अनुदान के रूप में ₹ 1,334.84 करोड़ (₹ 1,200.17 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–104–संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के अंतर्गत–वित्त आयोग अनुदान तथा ₹ 134.67 करोड़ मुख्य शीर्ष 1601–01–109–राज्य आपदा उन्मोचन निधि में योगदान हेतु अनुदान) प्राप्त किया।

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत 13वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात 2010–15 के दौरान अनुदान की उपयोगिता की स्थिति **तालिका 1.10** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.10: वर्ष 2010–15 के लिए 13वें वित्त आयोग के अनुदानों की उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष एवं नामावली	कुल बजट प्रावधान	स्थिति				अनुपयोगी राशि का प्रतिशत
		समर्पण	व्यय	बचत (+) आधिक्य (–)	कुल अनुपयोगी राशि	
1	2	3	4	5	6=3+5	7
राजस्व लेखे						
2014– न्याय प्रशासन	167.69	85.68	25.34	56.67	142.35	84.89
2054–कोषालय एवं लेखा	8.60	4.79	2.60	1.22	6.01	69.88
2055–पुलिस	4.89	0.24	1.72	2.93	3.17	64.83
2202–सामान्य शिक्षा	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00
2203–तकनीकी शिक्षा	18.00	14.96	3.51	0.47	15.43	85.72
2205–कला एवं संस्कृति	20.35	10.58	3.22	6.55	17.13	84.18

1	2	3	4	5	6=3+5	7
2217–शहरी विकास	626.33	339.52	286.81	0.00	339.52	54.21
2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी	399.83	37.45	358.48	3.90	41.35	10.34
2515–अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,862.24	335.51	1,456.38	70.36	405.87	21.79
3054–सड़क एवं सेतु	362.00	96.00	183.00	83.00	179.00	49.45
3454–जनगणना एवं सांख्यिकी	121.06	43.02	20.49	57.54	100.56	83.07
पूंजीगत लेखे						
4059–लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	312.64	13.48	166.30	132.86	146.34	46.81
4202–शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	24.65	9.73	5.60	9.32	19.05	77.28
4210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	82.46	2.88	22.61	56.97	59.85	72.58
4216–आवास पर पूंजीगत परिव्यय	250.00	62.50	184.87	2.63	65.13	26.05
4217–शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	550.00	137.50	275.00	137.50	275.00	50.00
4235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	150.00	40.28	109.67	0.06	40.34	26.89
4406–वानिकी एवं वन्य प्राणी पर पूंजीगत परिव्यय	55.62	5.33	40.96	9.33	14.66	26.36
कुल योग	**5,873.36**	**1,239.43**	**4,003.56**	**631.31**	**1,870.74**	**31.85**

(स्रोतः वर्ष 2014–15 के विस्तृत विनियोग लेखे)

तालिका से यह स्पष्ट है कि:

- 13 वें वित्त आयोग के निर्धारित अवधि अर्थात 2010–15 के दौरान कुल ₹ 5,873.36 करोड़ के प्रावधान में राशि ₹ 4,003.56 करोड़ जो कुल राशि का 68 प्रतिशत था, का उपयोग हुआ और ₹ 1,870.74 करोड़ (32 प्रतिशत) या तो समर्पित (₹ 1,239.43 करोड़) किया गया या शासन के खाते में व्यपगत (₹ 631.31 करोड़) हुआ। इस प्रकार, शासन 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर दी गई निधि का 32 प्रतिशत (₹ 1,870.74 करोड़) उपयोग नहीं कर सका।

- 13 वें वित्त आयोग के निर्धारित अवधि अर्थात 2010–15 के दौरान, बचत का प्रतिशत 10.34 प्रतिशत एवं 85.72 प्रतिशत के मध्य रहा। मुख्य शीर्ष 2014–न्याय प्रशासन, 2054–कोषालय एवं लेखा, 2055–पुलिस, 2203–तकनीकी शिक्षा, 2205–कला एवं संस्कृति, 2217–शहरी विकास, 3454–जनगणना एवं सांख्यिकी, 4202–खेल शिक्षा पर पूंजीगत व्यय, 4217–शहरी विकास पर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक राशि का उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि, निधियों का पूर्ण उपयोग एक मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा के अंतर्गत हुआ था। बचत होने का मुख्य कारण प्रशासकीय स्वीकृति का प्राप्त न होना, भारत सरकार द्वारा निधि का मुक्त न होना तथा योजनओं का क्रियान्वयन न होना था।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, अंतर्राज्यीय समाशोधन एवं लोक ऋण प्राप्तियाँ सम्मिलित है। वर्ष 2010–15 के दौरान, पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं प्रवृत्ति **तालिका 1.11** तथा **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

शासन के प्राप्तियों का स्रोत	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
पूंजीगत प्राप्तियाँ	**1,361.56**	**1,710.01**	**3,603.66**	**5,581.94**	**6,638.47**
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	2.56	3.93	2.39	7.64	**3.03**
ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	561.16	1,282.53	1,542.01	1,637.27	**194.86**
अंतर्राज्यीय परिशोधन	2.65	2.21	1.53	5.14	**0.91**
कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	**566.37**	**1,288.67**	**1,545.93**	**1,650.05**	**198.80**
गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	(–)43.24	127.53	19.96	6.74	**(–)87.95**
लोक ऋण प्राप्तियाँ	**795.19**	**421.34**	**2,057.73**	**3,931.89**	**6,439.67**
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के वृद्धि दर	(–)38.22	(–)47.01	388.38	91.08	**63.78**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर	20.18	20.90	13.21	13.21	**13.58**
पूंजीगत प्राप्तियाँ के वृद्धि दर (प्रतिशत)	(–)40.41	25.59	110.74	54.90	**18.93**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.11 से यह स्पष्ट है कि, राज्य की पूंजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2010–11 में ₹ 1,362 करोड़ से ₹ 5,276 करोड़ बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,638 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 में पूंजीगत प्राप्तियाँ में ₹ 1,057 करोड़ की वृद्धि का मुख्य कारण लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 2,508 करोड़ की वृद्धि था तथा ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 1,442 करोड़ की कमी था। आगे, बाजार ऋण में वर्ष 2013–14 में ₹ 3,000 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 4,200 करोड़ की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण लोक ऋण प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

1.4.1 ऋण एवं अग्रिम की वसूली

ऋण एवं अग्रिमों की वसूली वर्ष 2010–11 में ₹ 561.16 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 1,637.27 करोड़ हो गया तथा 2014–15 में घटकर ₹ 194.86 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (₹ 10.00 करोड़) को नए ऋण (ब्याज मुक्त) दिए गए, जिनसे ₹ 146.11 करोड़ के पूर्व के ऋणों की वसूली लंबित थे। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम को ₹ 1.00 करोड़ के ऋण नियम एवं शर्तों को निर्धारित किए बिना ही प्रदान किए गए।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

राज्य अपने संसाधनों की कमी तथा पूंजीगत व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आंतरिक बाजार से निधि की व्यवस्था करता है। आंतरिक ऋण वर्ष 2010–11 में ₹ 592 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,431 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 में आंतरिक ऋण में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान, आंतरिक ऋण में मुख्य योगदान बाजार ऋण (₹ 4,200 करोड़), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिया गया ऋण (₹ 796 करोड़), राष्ट्रीय लघु बचत निधि (₹ 659 करोड़) तथा भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (₹ 776 करोड़) था।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम में वर्ष 2010–15 की अवधि में निरन्तर कमी आई, जो वर्ष 2010–11 में ₹ 203 करोड़ से 2014–15 में ₹ नौ करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 में, राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ₹ नौ करोड़ के ऋण एवं अग्रिम प्राप्त किया गया। वर्ष 2013–14 के दौरान केंद्रीय आयोजनागत योजना तथा केंद्रीय प्रवर्तित योजना के लिए कोई भी नया ऋण प्राप्त नहीं किया गया था।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

कुछ निश्चित लेन–देन जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, रक्षित निधि, जमा, उचन्त, प्रेषण आदि जिनका उल्लेख राज्य की संचित निधि में नहीं होता है, की प्राप्तियों एवं संवितरणों को, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल के मताधीन नहीं है। इस मामले में शासन एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के पश्चात शेष राशि शासन के उपयोग के लिए उपलब्ध होती है। वर्ष 2010–15 की अवधि के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं इसके घटक **तालिका 1.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.12: शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ[8]					
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	328.97	307.76	293.47	265.40	443.83
आरक्षित निधियाँ	21.60	208.75	530.88	402.11	363.09
उचंत तथा विविध	(–)111.03	22.40	(–)28.58	44.93	(–)78.64
प्रेषण	33.68	96.10	(–)64.17	(–)98.03	193.53
जमा तथा अग्रिम	355.25	585.95	521.18	1,818.98	466.62
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट अन्त शेष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल लोक लेखा प्राप्तियाँ	**628.47**	**1,220.96**	**1,052.78**	**2,433.39**	**1,388.43**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ (लोलेप्रा) (कुल लोलेप्रा में से कुल लोक लेखा संवितरणों को घटाने के बाद) अस्थिर प्रवृत्ति दर्शाया जो ₹ 628 करोड़ एवं ₹ 2,433 करोड़ के मध्य रहा। शुद्ध लोलेप्रा वर्ष 2012–13 में ₹ 1,053 करोड़ से बढ़कर 2013–14 में ₹ 2,433 करोड़ हो गया तथा इसके बाद वर्ष 2014–15 में घटकर ₹ 1,388 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान शुद्ध लोलेप्रा में कमी का मुख्य कारण जमा तथा अग्रिम, उचंत तथा विविध और आरक्षित निधि में कमी था। यद्यपि, लघु बचत, भविष्य निधि एवं प्रेषण में शुद्ध लोलेप्रा में वृद्धि हुआ।

1.6 संसाधनों का उपयोग

चूँकि राज्य शासन को प्रमुख व्यय करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है अतः उनके स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण का कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान के ढांचे के अंतर्गत, घाटे अथवा उधारियों से वित्त पोषण के माध्यम से लोक व्यय को बढ़ाने में बजट संबंधी कई कठिनाइयाँ है। इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर, जारी राजकोषीय सुधार एवं सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय लागत पर लागू न किया जाए।

1.6.1 व्यय की संरचना तथा वृद्धि

विगत पाँच वर्षों (2010–15) की अवधि में कुल व्यय[9] की प्रवृत्तियाँ एवं "आर्थिक वर्गीकरण" एवं "स्वभाव के द्वारा व्यय" दोनों के संदर्भ में इसकी संरचना क्रमशः **चार्ट 1.10** एवं **चार्ट 1.11** में दर्शाया गया है तथा वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान कुल व्यय एवं इसकी संरचना **तालिका 1.13** में दिया गया है।

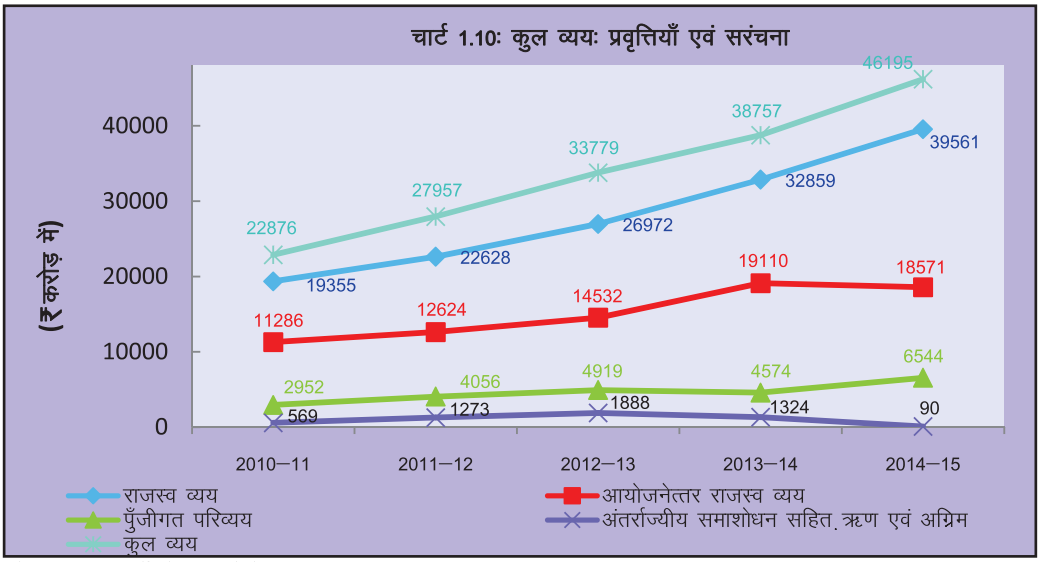
[8] शुद्ध लोक लेखा प्राप्तियाँ = लोक लेखा प्राप्तियाँ – लोक लेखा भुगतान। उचंत एवं विविध तथा आरक्षित निधि के आंकड़े निवेश के आंकड़े को छोड़कर दर्शाया गया है।

[9] कुल व्यय में लोक ऋण अदायगी सम्मिलित नहीं है।

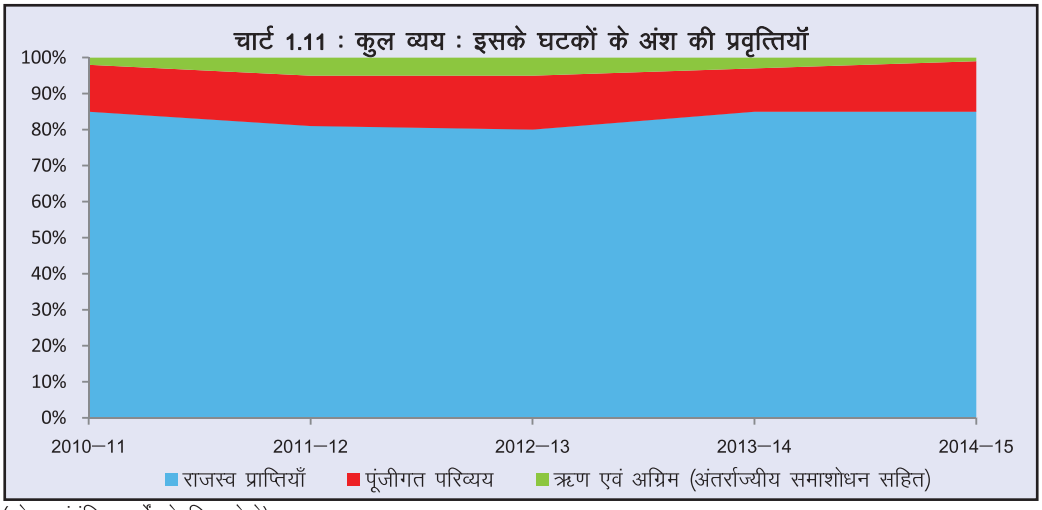
तलिका 1.13: कुल व्यय तथा इसकी संरचना

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
कुल व्यय (₹ करोड़ में)	**22,876**	**27,957**	**33,779**	**38,757**	**46,195**
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.40	22.21	20.82	14.74	19.19
राजस्व व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	19,355 (85)	22,628 (81)	26,972 (80)	32,859 (85)	39,561 (85.64)
जिसमें आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	11,286	12,624	14,532	19,110	18,571
पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	2,952 (13)	4,056 (14)	4,919 (15)	4,574 (12)	6,544 (14.17)
ऋण एवं अग्रिम*(₹ करोड़ में) (कुल व्यय का प्रतिशत)	569 (02)	1,273 (05)	1,888 (05)	1,324 (03)	90 (0.19)
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,19,420	1,44,112	1,65,641[P]	1,85,682[Q]	**2,10,192[A]**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	20.18	20.68	14.94	12.10	**13.20**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे),ए–अग्रिम अनुमान, क्यू–त्वरित अनुमान, पी–अस्थायी अनुमान
*अंतर्राज्यीय समाशोधन भी शामिल है।



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.13 से यह देखा जा सकता है कि:

- कुल व्यय जिसमें राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय एवं अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2010–11 के ₹ 22,876 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 46,195 करोड़ हो गया।

- पिछले वर्ष कि तुलना में 2014–15 में ₹ 7,438 करोड़ के वृद्धि का मुख्य कारण राजस्व व्यय में ₹ 6,702 करोड़ (20.40 प्रतिशत) तथा पूंजीगत व्यय में ₹ 1,970 करोड़ (43.07 प्रतिशत) की वृद्धि थी।

- अंतर्राज्यीय समाशोधन सहित ऋण एवं अग्रिम में ₹ 1,234 करोड़ (93.20 प्रतिशत) की कमी थी।

- अवधि 2010–15 के दौरान कुल व्यय की वृद्धि दर में अस्थिर प्रवृति देखी गई जो 9.40 प्रतिशत और 22.21 प्रतिशत के मध्य था। कुल व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2013–14 में 15 प्रतिशत से वर्ष 2014–15 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

- वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 22 प्रतिशत था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान कुल व्यय में, राजस्व व्यय का योगदान 85.64 प्रतिशत रहा जबकि पूँजीगत व्यय का योगदान 14.17 प्रतिशत रहा। कुल व्यय में ऋण अग्रिम का वितरण का योगदान सिर्फ 0.19 प्रतिशत रहा।

- वर्ष 2013–14 में 49 प्रतिशत की तुलना में, वर्ष 2014–15 में कुल व्यय में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय 40 प्रतिशत था।

1.6.2 राजस्व व्यय

पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए एवं सेवाओं से वर्तमान स्तर को बनाये रखने हेतु राजस्व व्यय किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप राज्य की बुनियादी सुविधाओं एवं सेवाओं के नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होता है। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2010–11 में 85 से घटकर 2012–13 में 80 हो गया एवं इसके बाद इसमें वृद्धि हुई और 2014–15 के दौरान 85.64 प्रतिशत पहुँच गया। 2014–15 के दौरान, राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 19 प्रतिशत रहा। 2014–15 के दौरान, राजस्व व्यय ₹ 39,561 करोड़ था जिसमें ₹ 18,571 करोड़ (47 प्रतिशत) आयोजनेत्तर घटक तथा ₹ 20,990 करोड़ (53 प्रतिशत) आयोजना घटक था।

1.6.2.1 आयोजना राजस्व व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 26,826 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजना राजस्व व्यय ₹ 20,990 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के दौरान, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजना राजस्व व्यय का अंश 53 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजना राजस्व व्यय में 2013–14 की तुलना में 53 प्रतिशत (₹ 7,240 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पहले विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसी को निधि का सीधे हस्तांतरित होना था जोकि अब राज्य बजट से होकर गया है।

1.6.2.2 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय

वर्ष 2014–15 के दौरान, ₹ 19,365 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 18,571 करोड़ था। 2014–15 के दौरान कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय का अंश 47 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान, आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 539 करोड़ (तीन प्रतिशत) की कमी हुई।

1.6.3 वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन भुगतान एवं सब्सिडी पर व्यय

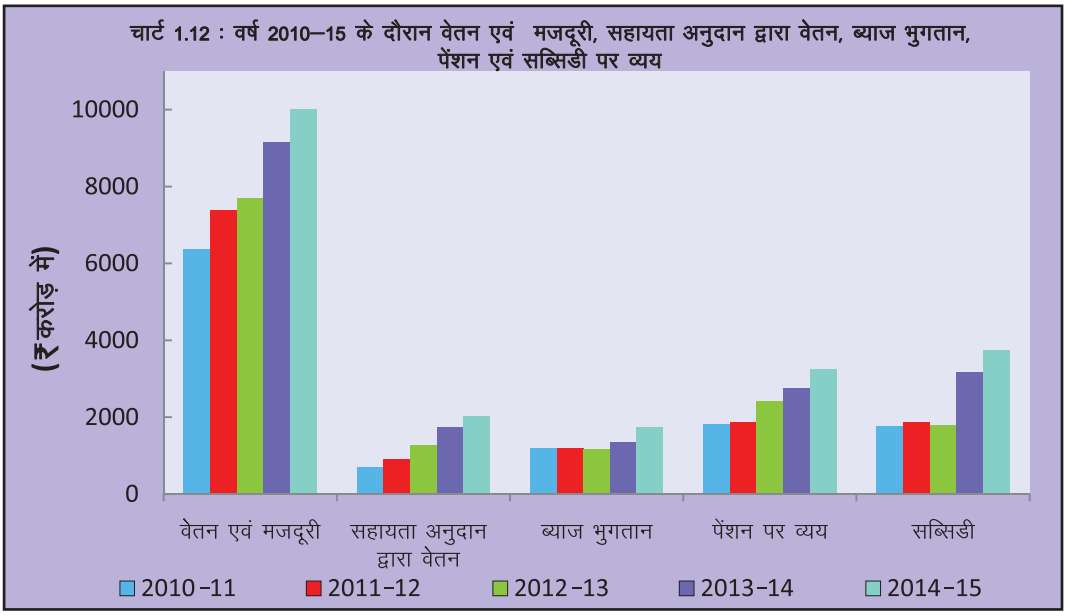
राज्य शासन के राजस्व खाते में व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी सम्मिलित है, **तालिका 1.14** एवं **चार्ट 1.12** वर्ष 2010–15 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.14: वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान, ब्याज भुगतान, पेंशन एवं सब्सिडी पर व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय जिसमें	6,362.92 (28.01)	7,382.61 (28.54)	7,686.52 (25.99)	9,137.19 (28.51)	10,749.84	10,003.33 (26.33)
आयोजनेत्तर शीर्ष	4,338.28	4,893.18	5,018.01	6,267.88	लागू नहीं*	6,973.60
आयोजना शीर्ष**	2,024.64	2,489.43	2,668.51	2,869.31	लागू नहीं	3,029.73
सहायता अनुदान के द्वारा वेतन भुगतान	708.33 (3.12)	897.27 (3.47)	1,280.34 (4.33)	1,749.32 (5.46)	लागू नहीं	2,009.90 (5.29)
ब्याज भुगतान	1,198.38 (5.27)	1,193.20 (4.61)	1,153.49 (3.90)	1,350.53 (4.21)	1,822.20	1,726.62 (4.55)
पेंशन पर व्यय	1,810.33 (7.97)	1,877.87 (7.26)	2,412.14 (8.16)	2,751.87 (8.59)	2,505.16	3,249.52 (8.55)
सब्सिडी	1,763.83 (7.76)	1,870.93 (7.23)	1,790.83 (6.05)	3,155.53 (9.85)	5,159.38	3,746.58 (9.86)
कुल व्यय	**11,843.79 (52.13)**	**13,221.88 (51.11)**	**14,323.32 (48.46)**	**18,144.44 (56.61)**		**20,735.95 (54.59)**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)
कोष्टक में प्रदर्शित आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को इंगित करते है।
* बजट प्राक्कलन में आँकड़े अलग–अलग उपलब्ध नहीं है।
** शीर्ष में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत भुगतान किये गये वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वेतन एवं मजदूरी, सहायता अनुदान द्वारा वेतन, ब्याज भुगतान, पेंशन तथा सब्सिडी पर कुल व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 18,144 करोड़ से ₹ 2,592 करोड़ बढ़कर वर्ष 2014–15 में

₹ 20,736 करोड़ हो गया तथा यह राजस्व व्यय (₹ 39,561 करोड़) का 52 प्रतिशत एवं राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 37,988 करोड़) का 55 प्रतिशत था। घटकवार विश्लेषण अनुवर्ती कंडिका में दिया गया है:

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय

- चालू वर्ष के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय 2013–14 में ₹ 9,137 करोड़ से ₹ 866 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 10,003 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान[10] के माध्यम से वेतन भुगतान 2013–14 में ₹ 1,749 करोड़ से ₹ 261 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 2,010 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2014–15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 10,750 करोड़) में किये गये आकंलन से सात प्रतिशत (₹ 747 करोड़) कम था।
- वर्ष 2014–15 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर राजस्व व्यय (₹ 9,340 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम में बनाए गयें प्रावधान (₹ 7,361 करोड़) से 27 प्रतिशत (₹ 1,979 करोड़) अधिक था।

पेंशन पर व्यय

- पेंशन पर व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 2,752 करोड़ से 18 प्रतिशत (₹ 498 करोड़) बढ़कर 2014–15 में ₹ 3,250 करोड़ हो गया।
- पेंशन पर व्यय (₹ 3,249.52 करोड़) कुल राजस्व व्यय (₹ 39,561.29 करोड़) का आठ प्रतिशत एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय (₹ 18,751.27 करोड़) का 17.50 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 37,988.01 करोड़) का नौ प्रतिशत था।
- वर्ष 2014–15 के लिए पेंशन पर व्यय राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान (₹ 2,505.16 करोड़) में बनाये गए प्रावधान से 30 प्रतिशत (₹ 744 करोड़) ज्यादा था।
- 13वें वित्त आयोग द्वारा बनाये गए प्रावधान के अनुसार वर्ष 2014–15 के अंत तक पेंशन भुगतान पर व्यय ₹ 1,441 करोड़ होना था। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के दौरान पेंशन पर वास्तविक व्यय ₹ 3,250 करोड़ था जो 13वें वित्त आयोग के मानदण्ड से ₹ 1,809 करोड़ ज्यादा था।

ब्याज भुगतान

- ब्याज भुगतान जिसमें आंतरिक ऋण पर भारित ब्याज, लघु बचत, भविष्य निधि भारत सरकार से लिया गया ऋण तथा अन्य देयतायें शामिल है, वर्ष 2013–14 में ₹ 1,350.53 करोड़ से 28 प्रतिशत (₹ 376.09 करोड़) बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,726.62 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2014–15 के लिए ब्याज भुगतान (₹ 1,727 करोड़), 13वें वित्त आयोग (₹ 2,821 करोड़) द्वारा बनाये गए प्रावधान एवं राज्य शासन द्वारा अपने बजट अनुमान तथा एफआरबीएम प्रकटीकरण (₹ 1,822 करोड़) में किए गए मूल्यांकन से कम था। वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 4.36 प्रतिशत तथा राजस्व प्राप्तियों का 4.55 प्रतिशत था।

सब्सिडी पर व्यय

- वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹ 3,746.58 करोड़ का भुगतान किया।

[10] शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति, कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ एवं ग्रामीण विकास के अर्न्तगत विभिन्न संस्थाओं को सहायता अनुदान के माध्यम से दिया गया वेतन भत्ता शामिल है।

• वर्ष 2010–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा दिए गये सब्सिडी का विवरण **तालिका 1.15** में दिया गया है।

तालिका 1.15: वर्ष 2010–15 के दौरान शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
सामाजिक कल्याण एवं पोषण	886.73	950.51	722.30	1,754.23	9.34
कृषि	40.07	46.36	75.45	300.45	322.40
मत्स्य पालन	0.75	0.60	1.30	1.36	1.44
वानिकी एवं अन्य जीव	10.00	8.10	15.05	15.03	19.60
खाद्य भंडारण एवं भंडारागार	488.65	383.67	395.24	463.71	2,328.16
सहकारिता	83.07	95.32	103.14	111.85	87.23
लघु सिंचाई	11.01	10.88	0.00	0.00	0.00
उर्जा	202.10	321.10	426.13	443.76	915.00
ग्रामीण एवं लघु उद्योग	37.71	52.52	44.27	41.61	33.55
उद्योग	3.72	1.87	7.95	20.41	29.20
प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00	0.39	0.66
ग्रामीण विकास	0.00	0.00	0.00	2.73	0.00
योग	**1,763.81**	**1,870.93**	**1,790.83**	**3,155.53**	**3,746.58**

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

• **तालिका 1.15** से यह स्पष्ट है कि सब्सिडी पर व्यय 2013–14 में ₹ 3,156 करोड़ से ₹ 591 करोड़ बढ़कर 2014–15 में ₹ 3,747 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान सब्सिडी पर व्यय कुल राजस्व प्राप्तियाँ का 9.86 प्रतिशत तथा कुल राजस्व व्यय का 9.47 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान सब्सिडी भुगतान के मुख्य घटक खाद्य भण्डारण तथा भंडागार (₹ 2,328.16 करोड़), उर्जा (₹ 915 करोड़), फसल कृषि–कर्म (₹ 322.40 करोड़) थे।

• वर्ष 2014–15 के दौरान, कुछ सब्सिडी निःशुल्क सेवा पर सहायता अनुदान (वस्तु के रूप में) के रूप में दिया गया जो **तालिका 1.16** में दर्शाया गया है।

तलिका 1.16: वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये निः शुल्क सेवा का विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजना का नाम	कुल
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	4.35
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालाएं पुस्तकों का प्रदाय	61.59
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क किताब एवं लेखा सामाग्री प्रदाय	0.67
कृषि	कृषकः को पॉच हॉर्स पावर पम्प के लिए विद्युत प्रदाय	300.00
संचार	छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप एवं टैबलेट का प्रदाय	39.98
योग		**406.59**

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15 का विवरण संख्या 10)

तालिका 1.16 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने ₹ 406.59 करोड़ का व्यय निःशुल्क किताब तथा लेखा सामग्री, सायकल, लैपटॉप तथा टैबलेट, कृषि–संबंधी पम्प के लिए विद्युत प्रदाय करने के लिए लक्षित हितग्राहियों का प्रदाय किया गया।

1.6.4 पूंजीगत व्यय

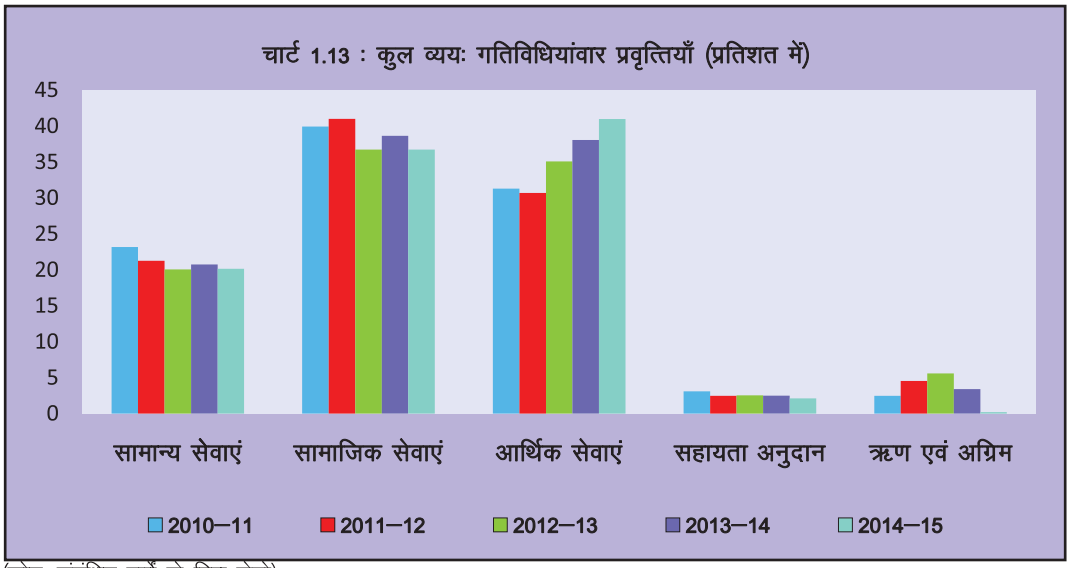
• पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान, पूंजीगत व्यय में 43 प्रतिशत (₹ 1,970 करोड़) की वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत सड़क एवं पुल पर ₹ 786 करोड़, शहरी विकास पर ₹ 522 करोड़, अन्य ग्रामीण विकास योजना पर

₹ 367 करोड़, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर ₹ 134 करोड़, वृहत सिंचाई पर ₹ 132 करोड़ तथा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 107 करोड़ का व्यय था। यद्यपि, पूंजीगत व्यय में लघु सिंचाई पर ₹ 206 करोड़ एवं कमान क्षेत्र पर ₹ 59 करोड़ की कमी हुई।

- पूंजीगत व्यय, अन्तर्राज्यीय समायोजन सहित ऋण तथा अग्रिम कुल व्यय का क्रमशः 14.17 प्रतिशत तथा 0.19 प्रतिशत था।

1.6.5 गतिविधियों के दृष्टिकोण से व्यय की प्रवृत्ति

गतिविधियों के परिपेक्ष्य में कुल व्यय में सामान्य सेवाओं (ब्याज भुगतान सहित), सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं, सहायता अनुदान तथा ऋण एवं अग्रिम पर किया गया व्यय सम्मिलित किया जा सकता है। कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्षिक हिस्सेदारी में होने वाली अंतर विविधताओं को **चार्ट 1.13** में प्रदर्शित किया गया है।



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- सामान्य सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 20.76 प्रतिशत से अल्प रूप से घटकर 2014–15 में 20.15 प्रतिशत हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 38.66 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 36.74 प्रतिशत हो गया जबकि आर्थिक सेवाओं के संबंध में यह उसी अवधि के दौरान 38.08 प्रतिशत से बढ़कर 40.99 प्रतिशत हो गया।

- सहायक अनुदान पर व्यय का प्रतिशत वर्ष 2013–14 में 2.50 प्रतिशत से अल्प रूप से कम होकर 2014–15 में 2.12 प्रतिशत हो गया जबकि ऋण एवं अग्रिम उसी अवधि के दौरान 3.40 प्रतिशत से घटकर 0.19 प्रतिशत हो गया।

1.6.6 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

विगत एवं चालु वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को अनुदानों तथा ऋणों के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा **तालिका 1.17** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.17: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
शैक्षनिक संस्थायें (सहायता प्राप्त स्कूल, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	144.82	163.07	223.27	242.42	261.87
विद्युत/उर्जा	101.05	149.56	672.81	254.67	458.00
कृषि	37.50	56.50	71.00	77.39	82.50
स्थानीय नगरीय निकाय	905.50	1,268.53	2,055.21	2,002.56	1,919.54
पंचायती राज संस्थायें	1,835.92	2,811.71	3,897.95	4,954.99	7,797.54
अन्य संस्थायें	376.43	158.21	123.61	118.70	53.86
योग	**3,401.22**	**4,607.58**	**7,043.85**	**7,650.73**	**10,573.31**
राजस्व व्यय	19,355	22,628	26,972	32,859	39,561
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	17.57	20.36	26.12	23.28	26.73

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.17 से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं[11] को वित्तीय सहायता 2010–11 में ₹ 3,401 करोड़ से अनवरत रूप से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 10,573 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में 2014–15 में स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2014–15 के दौरान, शासन द्वारा वित्तीय सहायता मुख्यतः पंचायती राज संस्थाओं (74 प्रतिशत) एवं स्थानीय नगरीय निकायों (18 प्रतिशत) को दिया गया था।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में बेहतर सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना की उपलब्धता सामान्य रूप से उनके व्यय की गुणवत्ता को प्रतिबिम्बित करती है। व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मुख्यतः तीन पक्ष शामिल हैं जैसे व्यय की पर्याप्तता (अर्थात जन सेवा उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की कुशलता तथा इसकी प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम के संबंधों का आंकलन)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

समाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित उत्तरदायित्व जिसे राज्य शासन को सौंपा गया है मुख्यतः राज्य के विषय है। मानव विकास के स्तरों के उन्नयन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य मुख्य सामाजिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय में बढ़ोत्तरी करें। किसी क्षेत्र विशेष को निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का समग्र व्यय के सापेक्ष अनुदान) दी जाती है, यदि यह संबंधित सामान्य श्रेणी के राज्य के औसत से कम है।

वर्ष 2011–12 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2014–15 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूंजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा **तालिका 1.18** में की गई है।

[11] शिक्षा संस्थाओं, ऊर्जा/कृषि, सहकारिता, अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान।

तालिका 1.18 वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	एई/जीएसडीपी	डीई[#]/एइ	एसएसई/एई	सीई/एई	शिक्षा/एई	स्वास्थ्य/एई
औसत (अनुपात) 2011–12						
सामान्य श्रेणी राज्य	15.98	65.39	36.63	13.23	17.10	4.68
छत्तीसगढ़	20.63	76.22	41.24	19.06	18.21	3.95
औसत (अनुपात) 2014–15						
सामान्य श्रेणी राज्य	16.49	69.12	36.50	14.01	16.23	5.04
छत्तीसगढ़	21.98	77.73	36.74	14.17	20.60	5.05

एईः कुल व्यय, डीई–विकास व्यय, एसएसईः सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीईः पूंजीगत व्यय
[#]विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूंजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

- छत्तीसगढ़ शासन ने सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत की तुलना में वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2013–14 में कुल व्यय के रूप में अपने सकल घरेलू उत्पाद का अनुपातिक रूप से अधिक खर्च किया।
- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ में समग्र व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र का व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था। हालांकि, वर्ष 2011–12 की तुलना में कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र का व्यय वर्ष 2014–15 में कम था।
- वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 के दौरान, छत्तीसगढ़ में पूंजीगत व्यय का समग्र व्यय के साथ अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में अधिक था। यद्यपि, वर्ष 2011–12 की तुलना में कुल व्यय का अनुपातिक व्यय वर्ष 2014–15 में घट गया।
- वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2014–15 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा के क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी है।
- वर्ष 2011–12 में राज्य ने सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को कम प्राथमिकता दी थी लेकिन वर्ष 2014–15 में सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी गयी है।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

सामाजिक एवं आर्थिक विकास के परिपेक्ष्य में विकास शीर्षों पर लोक व्यय की महत्ता की दृष्टि से, राज्य शासन के लिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यय को तर्कसंगत बनाने के लिए समुचित उपाय करें एवं अति आवश्यक लोक एवं महत्व की वस्तुओं[12] के लिए प्रावधान पर बल दें। विकास व्यय[13] के आवंटन में सुधार के अतिरिक्त विशेषकर अभी पिछले कुछ वर्षों में ऋण अदायगी/भुगतान में गिरावट के कारण राजकोषीय रिक्तता की दृष्टि से व्यय के उपयोग में कुशलता, कुल व्यय और/अथवा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से पूंजीगत व्यय के अनुपात परिलक्षित होता है एवं राजस्व पर व्यय का अंश विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक

12 मुख्य जन सामग्री सभी नागरिक जिसका सार्वजनिक उपयोग करते हों, इस अर्थ में कि प्रत्येक व्यक्ति के ऐसे सामग्री के उपयोग से अन्य किसी व्यक्ति के उस सामग्री के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था लागू करना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण मुक्त हवा एवं वातावरण से संबंधित अन्य सामग्री एवं सड़क अधोसंरचना इत्यादि। उच्च गुणवत्ता सामग्री उपयोग वस्तु है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा सस्ते दरों पर उपलब्ध करता है क्योंकि एक व्यक्ति या समाज के पास, सरकार को अदायगी की सम्मति एवं सामर्थ्य के बजाय कुछ जरूरत के विचार से उपलब्ध होना चाहिए एवं इसलिए उनके खपत को प्रोत्साहित करने की इच्छा करता है। ऐसे सामग्रियों के उदाहरण में पोषण आहार में सहायता हेतु गरीबों के लिए सस्ते या मुफ्त भोजन प्रावधान, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं रूग्णता को कम करने, सभी के लिए बुनियादी शिक्षा पेयजल एवं स्वच्छता आदि मुहैया कराना है।

13 व्यय के आंकड़ों के विश्लेषण से विकास एवं गैर विकास व्यय को पृथक किया जाता है। राजस्व लेखे पूंजीगत व्यय एवं ऋणों तथा अग्रिमों से संबंधित सभी व्यय को सामाजिक सेवाएं, आर्थिक सेवाएं एवं सामान्य सेवाएं की श्रेणीयों में स्थापित करता है। स्पष्टतः सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं विकास व्यय को स्थापित करता है जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय गैर विकास व्यय के रूप में व्यवहार किया जाता है।

सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव पर व्यय किया जा रहा है। कुल व्यय से इन घटकों का जितना उच्च अनुपात होगा, उतनी बेहत्तर व्यय की गुणवत्ता होगी।

तलिका 1.19 विगत वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.19: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
विकास राजस्व व्यय	13,401 (59)	16,037 (57)	19,468 (58)	24,038 (62)	29,541 (64)
विकास पूंजीगत व्यय	2,899 (13)	4,014 (15)	4,794 (14)	4,392 (11)	6,287 (14)
विकास ऋण एवं अग्रिम	557 (02)	1,259 (05)	1,882 (06)	1,309 (03)	78 (0.17)
कुल विकास व्यय	**16,857 (73)**	**21,310 (76)**	**26,144 (77)**	**29,739 (77)**	**35,906 (78)**
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	22,876	27,957	33,779	38,757	46,195
कोष्टक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।					

(स्रोतः वित्त लेखे)

- **तालिका 1.19** से यह देखा जा सकता है कि विकास व्यय जिसमें सामाजिक–आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व एवं पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है, वर्ष 2010–11 में ₹ 16,857 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 35,906 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2010–11 से वर्ष 2014–15 के दौरान सकल व्यय के प्रतिशत के रूप में विकास व्यय में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई जो 73 प्रतिशत एवं 78 प्रतिशत के मध्य थी। वर्ष 2014–15 के दौरान विकास व्यय, कुल व्यय का 78 प्रतिशत था जबकि गैर–विकास व्यय 22 प्रतिशत था।
- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2014–15 के दौरान कुल विकास व्यय में ₹ 6,167 करोड़ (21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसका कारण विकास राजस्व व्यय में ₹ 5,503 करोड़ (23 प्रतिशत) तथा विकास पूंजीगत व्यय में ₹ 1,895 करोड़ (43 प्रतिशत) की वृद्धि था। हालांकि विकास ऋण तथा अग्रिमों में ₹ 1,231 करोड़ (94 प्रतिशत) का कमी दर्ज किया गया था।

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.20 पूंजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तलिका 1.20: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(₹ प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2013–14			2014–15		
	सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में		सीई का टीई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में	
		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
1	2	3	4	5	6	7
समाजिक सेवाएं						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	1.79	2.23	33.34	3.38	0.79	34.06
सामान्य शिक्षा	0.65	1.35	44.78	0.57	0.85	36.99
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.33	0.66	62.14	0.51	0.63	50.83
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	0.22	4.06	10.76	1.52	2.12	8.50

1	2	3	4	5	6	7
आर्थिक सेवाएं						
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	9.55	6.18	18.72	10.23	4.06	13.95
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.23	0.76	21.70	0.13	0.55	15.64
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4.35	5.50	75.55	3.33	9.18	52.77

(स्रोतः वित्त लेखे)
टीईः संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सीईः संबंधित क्षेत्र में पूंजीगत व्यय;

तालिका 1.20 से यह स्पष्ट है किः

- कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2013–14 में 1.79 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 3.38 प्रतिशत हो गया जिसका कारण सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 691.96 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,559.87 करोड़ हो गया।
- जबकि सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत राजस्व व्यय में वेतन पर व्यय का अंश 33.34 प्रतिशत से बढ़कर 34.06 प्रतिशत हो गया, वर्ष 2014–15 के दौरान अनुरक्षण व्यय 2.23 प्रतिशत से घटकर 0.79 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय वर्ष 2013–14 में ₹ 3,699.81 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 4,726.64 करोड़ बढ़ने के कारण कुल व्यय में आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय का हिस्सा वर्ष 2013–14 में 9.55 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 10.23 प्रतिशत हो गया।
- आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन का हिस्सा 18.72 प्रतिशत से घटकर 13.95 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष के दौरान उसका अनुरक्षण व्यय क्रमशः 6.18 प्रतिशत से घटकर 4.06 प्रतिशत हो गया।

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम में राज्य से यह अपेक्षा है कि वह न केवल अपना राजकोषीय घाटे (एवं उधारियों) को न्यूनतम स्तर पर बनाये रखे अपितु पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करें। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता की स्थिति में परिवर्तन के लिए राज्य शासन को अपने निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल उपार्जित करने हेतु एवं उधार ली गई निधियों की लागत का भार आर्थिक सहायता के रूप में अपने बजट पर रखने के बजाय इसकी वसूली के लिए पहल करना चाहिए एवं वित्तिय संचालनों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। यह खण्ड विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएं

परियोजनाओं की विभागवार जानकारी (जिसकी लागत ₹ 10 करोड़ एवं उससे अधिक है) जो अपने निर्धारित समयावधि तक और 31 मार्च 2015 तक भी पूर्ण नहीं हुये थे, **तालिका 1.21** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.21 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं			
	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत	31 मार्च 2015 को संचयी व्यय
लोक निर्माण	31	856.07	1,211.81	796.34
जल संसाधन	136	5,796.50	6,952.17	4,028.11
योग	**167**	**6,652.57**	**8,163.98**	**4824.45**

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभारित करता है। सभी 167 परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 6,652.57 करोड़) को 31 मार्च 2015 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु उनके अपूर्ण रहने के परिणामस्वरूप इन कार्यों पर व्यय राशि ₹ 4,824.45 करोड़ अवरूद्ध हो गई। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2015 की स्थिति में, शासन ने 15 सरकारी कंपनियों (₹ 1,667.40 करोड़), 1461 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 143.53 करोड़), छः सांविधिक निगमों (₹ 32.69 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 24.31 करोड़) तथा एक संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 2.60 करोड़) में ₹ 1,872.53 करोड़ निवेश किया। **(तालिका 1.22)**

तालिका 1.22: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में)	259.92	1,194.38	1,916.18	1,866.44	1,872.53
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	4.30	0.46	2.19	14.21	0.86
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	1.65	0.04	0.11	0.76	0.05
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.34	7.08	6.34	6.12	6.16
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.69	7.04	6.23	5.36	6.11

*(वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

वर्ष 2013–14 के ₹ 14.21 करोड़ (0.76 प्रतिशत) की तुलना में वर्ष 2014–15 में इस निवेश पर औसत प्रतिफल ₹ 0.86 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने अपने उधारियों पर 6.16 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज अदा किया, जबकि राज्य के निवेश पर प्रतिफल केवल 0.05 प्रतिशत है। उधार ली गई निधि का लगातार निवेशित निधि में उपयोग करना, जिसका पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल न होता हो, अवहनीय वित्तीय स्थिति को पैदा करता है। शासन उच्च लागत के निधियों के निवेश के लिए उचित औचित्य सुनिश्चित कर सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूति के आँकड़े राज्य के वित्त लेखे के साथ मिलना चाहिए। उस स्थिति में जब आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को समाशोधन करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2015 की स्थिति **तालिका 1.23** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.23: बकाया इक्विटी, ऋण तथा प्रत्याभूतियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बकाया संबंध में	वित्त लेखे के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के रिकार्ड के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	1,667.78	6,812.79	5,145.01
ऋण	458.75	16.87	441.88
प्रत्याभूति	748.40	744.73	3.67

यह पाया गया कि नौ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अंतर पाया गया तथा इन अंतरो का समाशोधन 2004–05 से लंबित था। शासन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अंतरो का समाशोधन हेतु समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए। यद्यपि, वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेख के राशि मे अंतरों को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बताया गया था, राज्य शासन द्वारा सुधार हेतु कोई कदम नहीं लिया गया था।

1.8.3 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। 31 मार्च 2015 की स्थिति में बकाया ऋणों एवं अग्रिमों एवं विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान की तुलना में ब्याज प्राप्तियाँ का विवरण **तालिका 1.24** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.24: राज्य शासन द्वारा दिये गये कर्ज पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत	2012–13	2013–14	2014–15
प्रारंभिक शेष	1,517.88	1,864.72	1,545.99
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,888.79	1,318.53	88.32
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	1,542.01	1,637.27	194.86
अंतशेष	**1,864.66**	**1,545.99**	**1,439.45**
ऐसे बकाया शेष जिसके लिए शर्तें तय कर ली गई है	1,864.66	1,544.99	1,438.45
निवल वृद्धि	342.78	(–) 318.74	(–) 106.54
ब्याज प्राप्तियाँ	8.27	274.43	47.30
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	0.44	17.75	3.29
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	6.34	6.12	6.16
ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	(–) 5.90	11.63	(–) 2.87

(स्रोतः वित्त लेखे)

मार्च 2015 की समाप्ति पर शासन के ₹ 1,439.45 करोड़ के ऋण तथा अग्रिम बकाया थे जिसमें से ₹ 172.69 करोड़, ₹ 820.15 करोड़ तथा ₹ 456.57 करोड़ के ऋण क्रमशः सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं एवं आर्थिक सेवाओं के थे। सरकारी कर्मचारियों से ₹ 9.96 करोड़ ऋण तथा अग्रिमों की वसूली कर बकाया ऋण तथा अग्रिमों का समायोजन किया गया। इन ऋणों तथा अग्रिमों से प्राप्त ब्याज पिछले वर्ष 17.75 प्रतिशत (₹ 274.43 करोड़) के विरूद्ध वर्ष 2014–15 में 3.29 प्रतिशत (₹ 47.30 करोड़) था।

1.8.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को **तालिका 1.25** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 1.25: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2014 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2015 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	(–) 46.71	(–)134.31
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	**(–) 46.71**	**(–)134.31**
(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	1,527.49	(–) 1.26
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	1,480.78	(–) 135.57
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	9.63	9.98
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.31	0.33
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,244.57	1,343.64
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)	**1,254.51**	**1,353.95**
कुल (अ) तथा (ब)	**2,735.29**	**1,218.38**

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

- वर्ष 2014–15 की समाप्ति पर राज्य का रोकड़ शेष वर्ष 2013–14 के ₹ 2,735.29 करोड़ से ₹ 1,516.91 करोड़ (55 प्रतिशत) घट कर वर्ष 2014–15 में ₹ 1,218.38 करोड़ हो गया।

- भारतीय रिजर्व बैंक से अनुबंध के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक में न्युनतम ₹ 0.72 करोड़ रोकड़ शेष रखना आवश्यक है। अगर किसी भी दिन यह राशि अनुबंधित निम्नतम राशि से कम होती है, तब कमी को समय–समय पर साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लेकर पूरा किया जाता है। वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य सरकार ने एक दिन यानि 31 मार्च 2015 को ₹ 97.63 करोड़ का साधारण अर्थोपाय अग्रिम तथा पाँच दिनों के लिए ₹ 678.41 करोड़ का विशेष अर्थोपाय अग्रिम लिया था जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

विशेष अर्थोपाय अग्रिम का विवरण

विशेष अर्थोपाय अग्रिम लेने का दिनांक	राशि (₹ करोड़ में)
07 मार्च 2015	235.71
20 मार्च 2015	11.06
23 मार्च 2015	66.39
24 मार्च 2015	79.08
31 मार्च 2015	286.17

- राज्य शासन द्वारा आंतरायिकता अधिशेष रोकड़ शेष को शासकीय कोषालय देयकों के अल्प सावधि जमा तथा प्रत्याभूतियों में निवेश किया गया तथा वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 64.50 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया गया जो कि पिछले वर्ष (₹ 97.80 करोड़) की तुलना में ₹ 33.30 करोड़ कम था।

- मुख्य शीर्ष 8670– चेक तथा बिल, के अंतर्गत अधिशेष राशि, भुनाए न गए चेकों के मूल्य को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2014–15 के वित्त लेखे के अनुसार, वर्ष 2013–14 में बकाया राशि ₹ 84.73 करोड़ से ₹ 39.40 करोड़ घटकर वर्ष 2014–15 में ₹ 45.33 करोड़ हो गया।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2014 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2015 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.4 (भाग ब)** में प्रस्तुत किया गया है।

कुल दायित्व, जैसा कि एफआरबीएम अधिनियम 2005 में परिभाषित किया गया है, वैसे दायित्व हैं जो राज्य के संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखा निधि के अंतर्गत आते है। दायित्व के दो समूह है–लोक ऋण तथा अन्य दायित्व। लोक ऋण में राज्य का आंतरिक ऋण सम्मिलित है और जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि–पूंजीगत लेखा के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

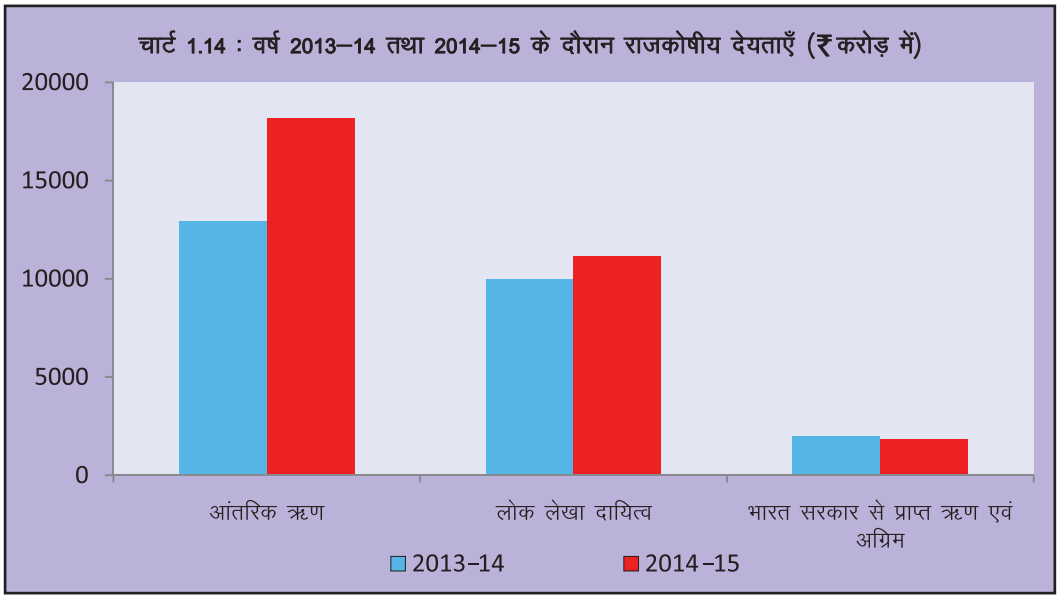
इसके अतिरिक्त, आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, मुआवजा तथा अन्य ऋण पत्र, वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अर्थोपाय ऋण शामिल है। भारत के संविधान में वर्णित है कि राज्य, भारतीय प्रांत के अंदर अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर उस सीमा तक ऋण ले सकता है जैसा समय–समय पर विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई हो तथा विधानमंडल के अधिनियम द्वारा तय की गई सीमा के अंदर गारन्टी दे सकता है। लोक लेखे दायित्वों में अल्प बचत योजना के अंतर्गत जमा, भविष्य निधि इत्यादि, सुरक्षा निधि तथा अन्य जमा सम्मिलित है।

संचित निधि के अंतर्गत शासकीय संपत्ति में पूंजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्वों की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट 1.4** में प्रस्तुत किया गया है और गत वर्ष एवं वर्त्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्व की तुलना **चार्ट 1.14** में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.14 : वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 के दौरान राजकोषीय देयताएँ (₹ करोड़ में)



(स्रोतः वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के वित्त लेखे)

दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2013–14 के 28.04 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2014–15 में 23.89 प्रतिशत हो गया तथा इसी अवधि में परिसम्पतियों का वृद्धि दर में वर्ष 2013–14 के 14.54 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2014–15 में 13.96 प्रतिशत हो गया।

विगत वर्ष की तुलना में जहाँ आंतरिक ऋण राजकोषीय दायित्व के प्रतिशतता के रूप में 52 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया वहीं लोक लेखा दायित्व तथा भारत सरकार से प्राप्त बकाया ऋण तथा अग्रिम विगत वर्ष की तुलना में क्रमशः 40 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत तथा आठ प्रतिशत से घटकर छह प्रतिशत हो गया।

राज्य का राजकोषीय दायित्व, इन दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों से अनुपात को **तालिका 1.26** में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.26: राजकोषीय देयता–आधारभूत मानक

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
राजकोषीय देयतायें (₹ करोड़ में)	16,581	17,103	19,268	24,904[14]	31,181
राजकोषीय देयताओं का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	4.06	3.15	12.66	29.25	25.20
राजकोषीय देयतायें/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	13.88	11.87	11.63	13.41	14.83
राजकोषीय देयतायें/राजस्व प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	72.98	66.11	65.14	77.70	82.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	**1,19,420**	**1,44,112**	**1,65,641**पी	**1,85,682**क्यू	**2,10,192**ए
जनसंख्या (करोड़ में)	**2.50**	**2.55**	**2.60**	**2.65**	**2.70**
प्रति व्यक्ति ऋण अनुपात (₹ में)	**6,632**	**6,707**	**7,411**	**9,398**	**11,549**

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)
(ए=अग्रिम, क्यू=तत्काल एवं पी=अस्थायी)

- राज्य का समग्र राजकोषीय दायित्व 88 प्रतिशत (₹ 14,600 करोड़) की वृद्धि के साथ वर्ष 2010–11 में ₹ 16,581 करोड़ से वर्ष 2014–15 में ₹ 31,181 करोड़ हो गया।

- राजकोषीय दायित्वों की वृद्धि दर वर्ष 2013–14 के 29.25 प्रतिशत के विरूद्ध वर्ष 2014–15 के दौरान 25.20 प्रतिशत रहा।

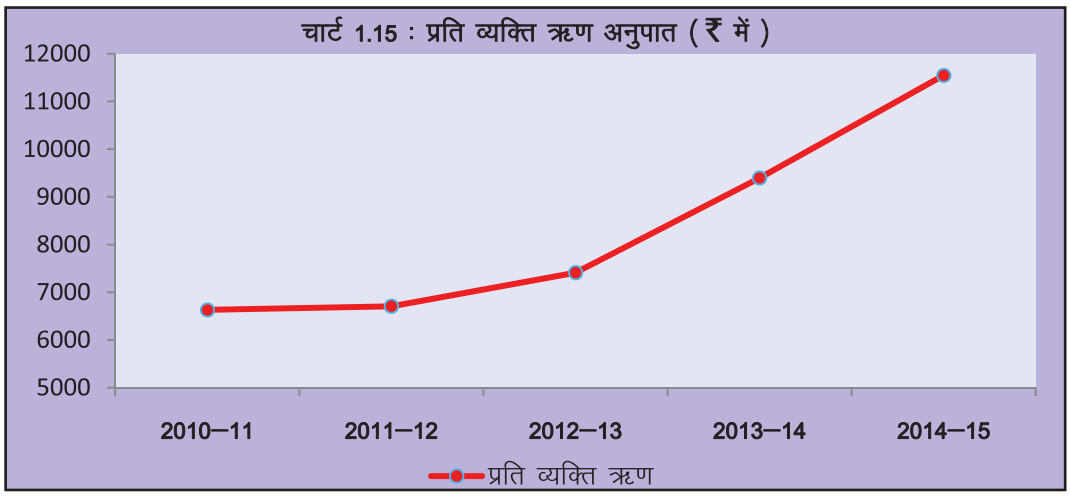
- वर्ष 2014–15 के समाप्ति पर राजकोषीय दायित्व, वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 82.08 प्रतिशत रहा जबकि वर्ष 2013–14 के दौरान यह 77.70 प्रतिशत था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान, बकाया ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 14.83 प्रतिशत था जो एफआरबीएम प्रकटीकरण में दिये गये अनुमान (15.53 प्रतिशत) के अन्दर था।

- प्रति व्यक्ति ऋण 74 प्रतिशत की प्रभावी बढ़ोत्तरी के साथ वर्ष 2010–11 में ₹ 6,632 से वर्ष 2014–15 में ₹ 11,549 हो गया।

अवधि 2010–15 के दौरान प्रति व्यक्ति ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति **चार्ट 1.15** में दर्शाया गया है।

[14] जीएसडीपी आंकड़े में बदलाव एवं वित्त लेखे में किये समायोजन के कारण वर्ष 2013–14 के आंकड़ें बदल गये।



1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लेखे (लोक लेखे) में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप में परिभाषित उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु आरक्षित एवं आरक्षित निधियों का गठन किया गया है तथा इनकी पूंजी भारत/राज्य के समेकित निधि के अंशदान/अनुदान से पूरी की जाती है। वर्ष 2011–12 एवं 2014–15 के बीच कुछ विशेष उद्देश्यों हेतु 17 आरक्षित निधि चिन्हित किये गये थे जिसमे से 13 सक्रिय तथा चार अप्रचलित थे। 31 मार्च 2015 के अंत तक निधि में ₹ 3,190.53 करोड़ थे। 31 मार्च 2015 के अंत तक निधि में उपलब्ध ₹ 3,190.53 करोड़ निवल संचित शेष में से राज्य शासन ने ₹ 1,343.64 करोड़ (42 प्रतिशत) निवेश किया था। निधियाँ, जो मुख्य शीर्ष 8229–विकास तथा कल्याण निधियों तथा 8235–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों में अप्रचलित रहें हैं, का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

अक्रिय आरक्षित निधि का विवरण

आरक्षित निधि का नाम	31 मार्च 2015 की स्थिति में शेष (₹ करोड़ में)	वर्ष जबसे अप्रचलित है
8229–विकास एवं कल्याण निधियाँ		
कृषि उद्येश्यों के लिए विकास निधि–निवेश खाता	0.05 (डेबिट)	2001–01
वनरोपण क्षतिपूरक निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008–09
शिक्षा उद्येश्यों के लिए विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011–12
8235–सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि		
अन्य निधियाँ	0.01 (क्रेडिट)	2000–01
कुल	**18.88 (क्रेडिट)**	

इसके अतिरिक्त, आरक्षित निधि, ग्रामीण विकास निधि, जिसका गठन 2001–02 में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने हेतु किया गया था, का 31 मार्च 2015 की स्थिति में शेष ₹ 135.70 करोड़ था लेकिन इसके गठन के पश्चात से अब तक इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

इन निधियों को यदि जारी रखना जरूरी न हो तो इनकी जाँच और बंद करने तथा शेष को समेकित निधि में प्रेषण करने की कार्यवाही की जानी चाहिए चाहिए।

राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर, राज्य शासन ने वर्ष 2010–11 में एक राज्य आपदा राहत निधि का गठन किया। वर्ष 2014–15 के दौरान, राज्य आपदा राहत निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 500.38 करोड़ था। वर्ष के दौरान, निधि से प्राप्तियाँ एवं संवितरण क्रमशः

₹ 182.28 करोड़ तथा ₹ 124.73 करोड़ था जिसमें मार्च 2015 की समाप्ति पर अंतिम शेष ₹ 557.93 करोड़ था।

निक्षेप निधि

शासन ने वर्ष 2006–07 के दौरान खुले बाजार ऋण के लिए एक निक्षेप निधि का गठन किया। इस निधि का उपयोग परिशोधन के रूप में बकाया आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखे की देनदारियों के विमोचन के लिए वर्ष 2011–12 से किया जाना था। यद्यपि, वर्ष 2014–15 तक शासन द्वारा राशि का उपयोग नहीं किया गया है। वर्ष 2014–15 में निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में शेष ₹ 1,346.94 करोड़ था। वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने ₹ 124.52 करोड़ के न्यूनतम अंशदान अर्थात वर्ष 2013–14 के अंत तक बकाया दायित्वों (₹ 24,903.62 करोड़) का 0.5 प्रतिशत के विपरीत, ₹ 100 करोड़ का अंशदान दिया।

1.9.4 प्रत्याभूति की स्थिति–आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूति राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक उत्तरदायित्व होती है जब उधारकर्त्ता जिसके विरूद्ध प्रत्याभूति दी गई है, के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है।

राज्य विधान मंडल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293 के अंतर्गत मार्च 2015 तक ऐसी कोई विधि पारित नहीं की गई थी जिससे शासन राज्य के समेकित निधि के प्रतिभूति पर प्रत्याभूति दे सके। यद्यपि राज्य के एफआरबीएम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन कम से कम शर्तों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत या जोखिम भारित के आधार पर 0.5 प्रतिशत जो भी कम हो से ज्यादा एक वर्ष में प्रत्याभूति नहीं देगा।

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले तीन वर्षों से लंबित प्रत्याभूति **तालिका 1.27** में दिया गया है।

तालिका 1.27: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2012–13	2013–14	2014–15
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	6,605.49	7,571.99	9,080.06
प्रत्याभूति की बकाया राशि	2,694.90	3,358.27	2,314.47
राजस्व प्राप्तियाँ	29,578.09	32,050.26	37,988.01
कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिकतम प्रत्याभूति राशि का प्रतिशतता	22.33	23.63	23.90

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वित्त लेखे में दर्ज विवरण संख्या 9 तथा 20 के अनुसार ₹ 2,314.47 करोड़ की प्रत्याभूति मार्च 2015 के अंत तक बकाया थी। इनमें से सहकारिता (₹ 1,445.38 करोड़), उर्जा (₹ 714.93 करोड़), राज्य वित्तीय निगम (₹ 108.74 करोड़), आवास एवं शहरी विकास (₹ 41.66 करोड़) तथा अन्य (₹ 3.76 करोड़) को प्रत्याभूति दी गई जो 31 मार्च 2015 तक बकाया थे। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 23.90 प्रतिशत था। नये प्रत्याभूतियां एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलु उत्पाद के 1.5 प्रतिशत में थी।

राज्य सरकार को प्रत्याभूति की आकस्मिक विमुक्ति के दायित्व के निर्वाह के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसा की गई कि राज्यों को पूर्व निर्धारित प्रत्याभूति शुल्क से एक प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना करनी चाहिए। तथापि, राज्य शासन के द्वारा उनके प्रत्याभूतियों का मूल्यांकन "उच्च जोखिम का निम्न पक्ष" का मानते हुए प्रत्याभूति विमोचन निधि की स्थापना नहीं करने का निर्णय लिया। वर्ष के दौरान किसी प्रत्याभूति को रद्द नहीं किया गया था।

वर्ष 2014–15 के दौरान, ₹ 0.20 करोड़ की राशि प्रत्याभूति शुल्क के रूप में वसूली की गई जो कि वर्ष 2013–14 के दौरान ₹ 0.04 करोड़ थी।

1.9.5 सरकार द्वारा लिए गए उधार का विश्लेषण

वर्ष 2014–15 के दौरान लोक ऋण का विवरण तथा इसके घटक को क्रमशः तालिका 1.28 तथा **चार्ट 1.6** में दर्शाया गया है।

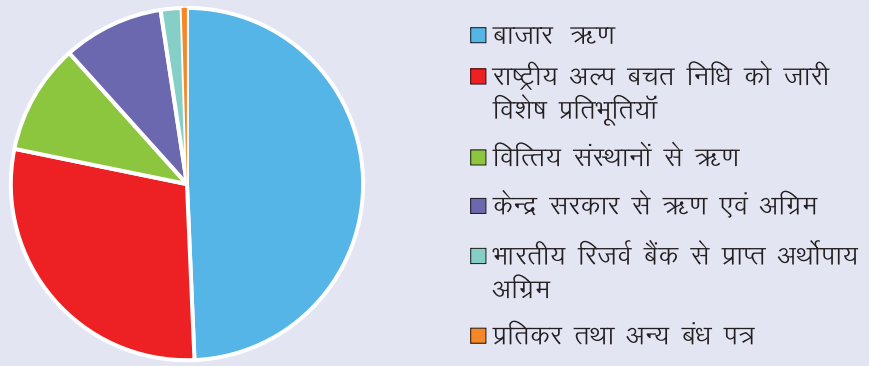
तालिका 1.28: वर्ष 2014–15 के दौरान लोक ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

उधारों की प्रकृत्ति	1 अप्रैल 2014 को प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	पुनर्भुगतान	31 मार्च 2015 को अंतिम शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–)
बाजार ऋण	6,080.04	4,200.00	392.35	9,887.69	3,807.65
प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	145.05	0.00	48.32	96.73	(–) 48.32
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,339.29	796.13	102.01	2,033.41	694.12
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	5,378.99	658.81	244.63	5,793.17	414.18
भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम	0.00	776.04	392.24	383.80	383.80
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,002.87	8.69	157.18	1,854.38	(–)148.49
योग	**14,946.24**	**6,439.67**	**1,336.73**	**20,049.18**	**5,102.94**

(स्रोतः वित्त लेखे 2014–15)

चार्ट 1.16 : 31 मार्च 2015 की स्थिति में सरकार द्वारा लिये गए उधार का घटक



वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 6,439.67 करोड़ का उधार लिया गया तथा ₹ 1,336.73 करोड़ इसके पुनर्भुगतान के रूप में विमुक्त किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान बाजार से उधारियों एवं अन्य उधारियों का विश्लेषण निम्नानुसार है:

वित्तीय संस्थाओं से ऋण

सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 796.13 करोड़ का उधार वित्तीय संस्थानों जैसे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (₹ 795.87 करोड़) एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (₹ 0.26 करोड़) से लिया गया तथा ₹ 102.01 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान वित्तीय संस्थाओं से लिए गये ऋण के बकाया शेष में ₹ 694.12 करोड़ (51.83 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013–14 में ₹ 1,339.29 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 2,033.41 करोड़ हो गया।

राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों से प्राप्त ऋण

सरकार द्वारा लघु बचत संग्रहणों से कर्ज विमुक्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999–2000 राष्ट्रीय अल्प बचत निधि गठित किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 658.81 करोड़ का ऋण प्राप्त हुआ तथा ₹ 244.63 करोड़ का पुनर्भुगतान किया गया। राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के कर्जों के बकाया शेष में ₹ 414.18 करोड़ (7.70 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013–14 में ₹ 5,378.99 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 5,793.17 करोड़ हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 516.21 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

बाजार ऋण

अवधि वर्ष 2010–15 के दौरान बाजार ऋण की वर्षवार स्थिति **तालिका 1.29** में दिया गया है।

तालिका 1.29: वर्ष 2010–15 की अवधि में बाजार ऋण की समग्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बाजार ऋण का प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान लिए गए बाजार ऋण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान किए गए बाजार ऋण	अंतिम शेष	निवल वृद्धि (+) कमी (–)	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2010–11	2,747.74	0.00	235.02	2,512.72	(–) 235.02	(–) 08.55
2011–12	2,512.72	0.00	313.14	2,199.58	(–) 313.14	(–) 12.46
2012–13	2,199.58	1,500.00	463.53	3,236.05	1,036.47	47.12
2013–14	3,236.05	3,000.00	156.01	6,080.04	2,843.99	87.88
2014–15	6,080.04	4,200.00	392.35	9,887.69	3,807.65	62.63

(स्रोतः वित्त लेखे)

तालिका 1.29 से यह स्पष्ट है कि मार्च 2012 की समाप्ति पर बाजार ऋण ₹ 2,199.58 करोड़ से प्रबल रूप से बढ़कर मार्च 2015 में ₹ 9,887.69 करोड़ हो गया, जो कि भविष्य में वृहद भुगतान दायित्व की ओर ले जाएगा। वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन ने ₹ 564.19 करोड़ का ब्याज भुगतान किया।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण प्रारूप

राज्य शासन के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त, राज्य के ऋण धारणीयता[15] को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण करना भी महत्वपूर्ण है। यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण[16]; गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता[17]; उधार ली गई निधियों की निवल

15 ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण–जीएसडीपी के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

16 स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (जीएसडीपी वृद्धि पर–ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ–साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण–जीएसडीपी अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ–साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण–जीएसडीपी का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण–जीएसडीपी अनुपात मे तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

17 राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

उपलब्धता[18]; ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता का मुल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

एक समयावधि में ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को स्थिर बनाए रखने की राज्य की योग्यता को ऋण धारणीयता कही जाती है। अतएव, यह राज्य के ऋण चुकाने की क्षमता को इंगित करता है।

तालिका 1.30 वर्ष 2012–13 से प्रारंभ कर तीन वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

तालिका 1.30: ऋण धारणीयताः सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2012–13	2013–14	2014–15
ऋण स्थिरीकरण (प्रमात्रा विस्तार+प्रारंभिक घाटा)	41	(–) 2,340	(–) 4,528
गैर ऋण प्राप्तियों के अभिवृद्धि की पर्याप्तता (संसाधनों की रिक्तता)	(–) 1,854	(–) 2,405	(–) 2,196
उधार निधियों की निबल उपलब्धता	1,012	4,283	4,551
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ अनुपात)	3.90	4.22	4.55
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद–(प्रतिशत में)	11.63	13.41	14.83

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.30 में प्रदर्शित प्रवृत्ति से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2012–13 की अवधि के दौरान प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार सकारात्मक रहा था परन्तु यह वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–15 के दौरान नकारात्मक हो गया। राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात वर्ष 2013–14 में 13.41 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 14.83 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान गैर–ऋण प्राप्तियों में अभिवृद्धि की पर्याप्तता (संसाधनों का अंतर) नकारात्मक थी, जो यह दर्शाता है कि गैर–ऋण प्राप्तियों की वृद्धि बढ़ते हुये प्रारंभिक व्यय एवं बढ़ते हुये व्यय भार को पोषित करने के लिए अपर्याप्त थी।

मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के पश्चात उधार ली गई निधियों की उपलब्धता वर्ष 2012–13 में ₹ 1,012 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 4,551 करोड़ हो गई। वर्ष 2014–15 के दौरान शासन ने ₹ 5,637 करोड़ (₹ 1,180 करोड़ के आंतरिक ऋण का मूलधन एवं ब्याज, भारत सरकार से ₹ 157 करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 4,300 करोड़ का भी निपटान) का पुनर्भुगतान किया जो कुल प्राप्तियों ₹ 11,914 करोड़ (आंतरिक ऋण ₹ 6,431 करोड़, भारत सरकार से ₹ नौ करोड़ का ऋण तथा अन्य देनदारियों ₹ 5,474 करोड़) से कम था, परिणामतः उत्पादक/पूंजीगत व्यय हेतु ₹ 4,551 करोड़ (कुल उधारों का 38 प्रतिशत) के निधि की शुद्ध उपलब्धता थी।

राज्य द्वारा भविष्य में पुनर्भुगतान हेतु योग्य, राज्य ऋण के परिपक्वता का परिपेक्ष्य **तालिका 1.31** में दर्शाया गया है।

[18] उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन मूलधन, ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गई। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।

तालिका 1.31: राज्य के ऋण की परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	कुल ऋण का प्रतिशत
0–5	4,182.47	4,252.03	3,914.35	4,207.57	5,828.95	29
6–10	3,351.11	3,115.08	3,204.48	7,937.95	11,849.84	59
11–15	2,039.44	1,958.45	3,312.46	1,674.14	1,553.25	08
16–20	1,164.79	1,012.50	802.49	658.63	528.11	03
20 और उससे उपर	378.91	347.50	470.22	467.95	289.04	01
योग	**11,116.72**	**10,685.56**	**11,704.00**	**14,946.24**	**20,049.19**	

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

31 मार्च 2015 की स्थिति में बकाया लोक ऋण कि परिपक्वता की रूपरेखा यह दर्शाता है कि अगले 10 वर्षों में कुल बकाया ऋण का 88 प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त यह दर्शाता है कि ऋण चुकाने का राज्य का दायित्व वर्ष 2015–20 के दौरान ₹ 5,829 करोड़ तथा वर्ष 2020–25 के दौरान ₹ 11,850 करोड़ होगा जो कि उस अवधि के दौरान सरकारी बजट पर दबाव डालेगा। अतः भविष्य के ऋण भुगतान की अधिक जागरूकता के साथ शासन को इस स्थिति में होना चाहिए कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नये ऋण का भुगतान उन वर्षों में नहीं करना पड़े जिन वर्षों में अधिकतम पुनर्भुगतान बकाया है।

ऋण पर ब्याज अदायगी, राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के अनुसार वर्ष 2010–11 में 5.27 से वर्ष 2012–13 में 3.90 का घटता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है और उसके बाद वर्ष 2012–13 में 3.90 से वर्ष 2014–15 में 4.55 का बढ़ता हुआ प्रवृत्ति दर्शाता है, जैसा कि **तालिका 1.32** से देखा जा सकता है।

तालिका 1.32: राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ब्याज भुगतान

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
ब्याज भुगतान (करोड़ में)	1,198	1,193	1,153	1,351	1,727
राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत	5.27	4.61	3.90	4.23	4.55

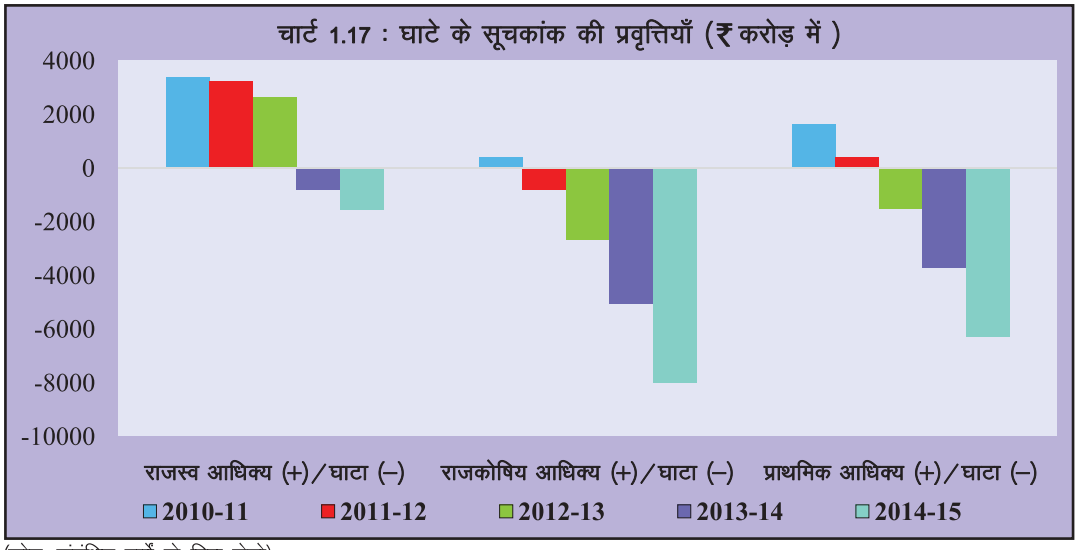
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.11 राजकोषीय अस्थिरता

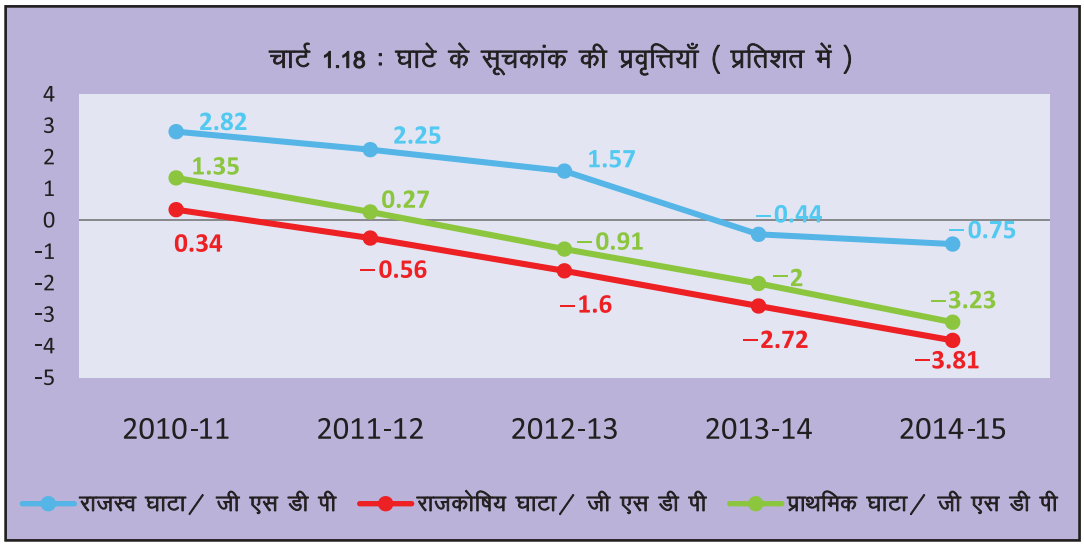
तीन मुख्य राजकोषीय पैमाने राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे राज्य शासन के वित्त में एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाते हैं। शासन के लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय के बीच के अंतर को दर्शाता है। घाटे की प्रकृति राज्य के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता का द्योतक है। आगे, घाटे के वित्त पोषण हेतु संसाधन की व्यवस्था एवं उपयोग के तरीके राजकोषीय स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटे के पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, आकार तथा तरीके एवं एफआरबीएम अधिनियम/नियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए निर्धारित किये गये लक्ष्य के विरूद्ध वास्तविक राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर के आंकलन को प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.17, चार्ट 1.18 तथा **तालिका 1.33** वर्ष 2010–15 की अवधि के लिए घाटे के सूचकांको की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)



(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 1.33: घाटे की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
राजस्व घाटा(–)/आधिक्य (+)	(+)3,364	(+)3,239	(+)2,606	(–)809	(–)1,573
राजकोषीय घाटा (–)/आधिक्य (+)	(+)410	(–)801	(–)2,655	(–)5,057	(–)8,008
प्राथमिक घाटा(–)/आधिक्य (+)	(+)1,608	(+)392	(–)1,502	(–)3,706	(–)6,281

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राजस्व घाटा राजस्व व्यय तथा राजस्व प्राप्तियों के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा उधारियों को बढ़ाता है तथा राजस्व आधिक्य उधारियों को घटाता है।

वर्ष 2010–11 में राज्य का राजस्व आधिक्य ₹ 3,364 करोड़ से घटकर वर्ष 2012–13 में ₹ 2,606 करोड़ हो गया था। वर्ष 2013–14 के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 809 करोड़ के राजस्व घाटा में तब्दील हो गया जो कि वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 764 करोड़ बढ़कर ₹ 1,573 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा वर्ष 2013–14 में 0.44 से बढ़कर वर्ष 2014–15 में 0.75 हो गया।

राजकोषीय घाटा जो शासन के कुल उधारियों तथा इसके कुल संसाधन के मध्य अंतर को दर्शाता है, वर्ष 2010–11 के दौरान ₹ 410 करोड़ का राजकोषीय आधिक्य था, लेकिन यह वर्ष 2011–12 में ₹ 801 करोड़ के राजकोषीय घाटे में तब्दील हो गया तथा धीरे–धीरे इसमें बढ़ोतरी हुई और वर्ष 2014–15 के दौरान यह ₹ 8,008 करोड़ हो गया। राजस्व प्राप्तियों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत 3.81 था जो 13वें वित्त आयोग प्रावधान एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित तीन प्रतिशत की सीमा से अधिक था।

राजकोषीय घाटा में 58 प्रतिशत तथा ब्याज अदायगियों में 28 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्राथमिक घाटा वर्ष 2013–14 में ₹ 3,706 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 6,281 करोड़ हो गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे का घटक तथा इसके वित्त पोषण की संरचना

राजकोषीय घाटा राज्य द्वारा लिये जाने वाले कुल उधारियों की आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों से राजस्व व्यय एवं ऋण एवं अग्रिम सहित पूंजीगत व्यय की अधिकता है। राजकोषीय घाटे का विभाजन यह प्रकट करता है कि राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर–ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सीमा तक विभिन्न उधारियों का सहारा लिया गया। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण प्रणाली **तालिका 1.34** में प्रदर्शित की गई है।

तालिका 1.34: राजकोषीय घाटा के घटक एवं वित्तीय संरचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1	2	3	4	5	6
राजकोषीय घाटे का विभाजन					
राजस्व घाटा (–)/आधिक्य (+)	3,363.79	3,239.33	2,606.25	–809.31	–1,573.28
निवल पूंजीगत व्यय	(–)2,948.95	(–)4,052.47	(–)4,916.94	(–)4,566.55	(–)6,541.22
निवल ऋण एवं अग्रिम[19]	(–)5.08	11.97	(–)344.45	318.58	106.23
योग	**409.76**	**(–)801.17**	**(–)2,655.14**	**(–)5,057.28**	**(–)8,008.27**
राजकोषीय घाटे का वित्तीय संरचना*					
बाजार से उधार	(–)235.03	(–)313.14	1,036.47	2,843.99	3,807.65
भारत सरकार से उधार	67.38	(–)85.15	(–)152.37	(–)134.50	(–)148.49
एन.एस.एस.एफ. को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ	373.47	13.00	15.00	1.42	414.18
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	(–)101.49	(–)45.86	119.34	531.33	645.80
भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	383.80
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	328.97	307.76	293.47	265.40	443.83
जमा एवं अग्रिम	355.26	585.94	521.18	1,818.98	466.62
उचन्त एवं विविध	(–)2,129.58	1,758.77	(–)1,107.52	(–) 1,243.93	1,449.74
प्रेषण	33.68	96.10	(–)264.11	(–) 98.03	193.52
अन्य[20]	(–)28.08	58.90	332.15	305.16	264.02
योग	**(–)1,335.42**	**2,376.32**	**793.61**	**4,289.82**	**7,920.67**
समग्र आधिक्य (+)/घाटा (–)	**(–)925.66**	**1575.15**	**(–) 1861.53**	**(–) 767.46**	**(–) 87.60**
योग	**(–)409.76**	**801.17**	**2,655.14**	**5,057.28**	**8,008.27**

*ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाही है।
(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

19 इसमें अंतर्राज्यीय समाशोधन सम्मिलित है।
20 इसमें आकस्मिता निधि एवं आरक्षित निधि सम्मिलित है।

उपरोक्त के तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य शासन द्वारा बाजार ऋण से राजकोषीय घाटे को अधिक से अधिक वित्त पोषित किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान, राजकोषीय घाटा वित्त पोषण में इसका हिस्सा 48 प्रतिशत था। वर्ष 2014–15 के दौरान, शासन ने रिजर्व बैंक से ₹ 383.80 करोड़ साधारण तथा विशेष अर्थोपाय अग्रिम लिया।

1.11.3 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात तथा प्राथमिक घाटे का प्राथमिक राजस्व घाटे[21] तथा पूंजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित) में अपघटन, राज्य के वित्त पोषण में घाटा गुणवत्ता की कमी को प्रदर्शित करता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे से अनुपात उधार ली गई निधियों का वर्त्तमान में किस सीमा तक उपभोग किया गया है, को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटे का विभाजन **(तालिका 1.35)** यह दर्शाता है कि किस सीमा तक घाटे के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि रहा है, जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में सुधार लाने के लिए वांछनीय है।

तालिका 1.35: प्राथमिक घाटा/आधिक्य–कारकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर–ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय[22]	प्राथमिक राजस्व घाटा(–)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा(–)/ आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2–3)	8 (2–6)
2010–11	23,286	18,157	2,952	569	21,678	5,129	1,608
2011–12	27,156	21,435	4,056	1,273	26,764	5,721	392
2012–13	31,124	25,819	4,919	1,888	32,626	5,305	(–) 1,502
2013–14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,408	2,191	(–) 3,709
2014–15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(–) 6,281

(स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- गैर–ऋण प्राप्तियों में ₹ 14,901 करोड़ (64 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो कि वर्ष 2010–11 में ₹ 23,286 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 38,187 करोड़ हो गया जबकि इसी अवधि में प्राथमिक राजस्व व्यय ₹ 21,678 करोड़ से बढ़कर ₹ 44,467 करोड (105 प्रतिशत) हो गया।

- वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य के पास ₹ 1,608 करोड़ का प्राथमिक आधिक्य था जो कि वर्ष 2012–13 के दौरान ₹ 1,502 करोड़ का प्राथमिक घाटे में तब्दील हो गया। वर्ष 2014–15 के दौरान प्राथमिक घाटा ₹ 3,709 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,281 करोड़ हो गया। दुसरे शब्दों में, वर्ष 2012–13 से वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व लेखा में प्राथमिक व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य के गैर–ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त नहीं थी।

1.12 अनुवर्ती कार्यवाई

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्त प्रतिवेदन, राज्य विधायिका में प्रस्तुत की जा रही है। इन प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति में अभी तक चर्चा शुरू होनी है।

[21] प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तियों के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तियों की सीमा को इंगित करता है।

[22] राज्य का प्राथमिक राजस्व व्यय ब्याज भुगतान का सकल शुद्ध व्यय, जो वर्ष के दौरान लेन देन पर होने वाले व्यय को इंगित करता है, के रूप में परिभाषित है।

1.13 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

- वर्ष 2014–15 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि, तेरहवें वित्त आयोग के 12.50 प्रतिशत के मानक के विरूद्ध 13.20 प्रतिशत थी।

- राज्य के राजकोषीय स्थिति के प्रमुख मानदण्डों में गिरावट आई है। तेंरहवें वित्त आयोग तथा राजकोषीय उतरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार राज्य को वर्ष के दौरान शून्य राजस्व घाटा बनाए रखना था। यद्यपि, वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व घाटा वर्ष 2013–14 में ₹ 809 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,573 करोड़ था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 8,008 करोड़ हो गया। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजकोषीय घाटा (3.81 प्रतिशत), 13वें वित्त आयोग के प्रावधान (तीन प्रतिशत) एवं एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत अनुमानित (तीन प्रतिशत) की सीमा से अधिक था।

- शासन को तेरहवें वित्त आयोग तथा एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अंदर राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए।

संसाधन की गतिशीलता

- चालू वर्ष के दौरान राज्य का स्वयं का कर राजस्व (₹ 15,707 करोड़) बजट अनुमान (₹ 17,926 करोड़) से कम था। करेत्तर राजस्व भी बजट अनुमान से ₹ 1,255 करोड़ कम था।

शासन को बजट दस्तावेज में प्राप्तियों के स्वयं के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

व्यय प्रबंधन तथा राजकोषीय प्राथमिकताएँ

- वर्ष 2014–15 के दौरान राजस्व व्यय निरंतर रूप से (85.64 प्रतिशत) कुल व्यय का प्रभावकारी घटक रहा। वर्ष के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.17 प्रतिशत रहा।

राज्य कुल व्यय के अनुपात में पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर विचार करे जिससे वृद्धि को उत्प्रेरित करने के लिए परिसंपत्तियाँ निर्मित की जा सके।

- मार्च 2015 के अंत तक राज्य सरकार ने ₹ 1,872.53 करोड़ का निवेश किया तथा ₹ 1,439.45 करोड़ बकाया ऋण तथा अग्रिमों की वसूली शेष था। वर्ष 2014–15 के दौरान सरकारी निवेश तथा बकाया ऋणों पर औसत प्रतिफल क्रमशः 0.05 प्रतिशत तथा 3.17 प्रतिशत मात्र था जबकि सरकार ने अपनी उधारियों पर 6.16 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से भुगतान किया। यह अवहनीय वित्तीय स्थिति की ओर अग्रेषित कर सकता है।

शासन को मूलधन एवं उस पर लगने वाले ब्याज का पुनर्भुगतान न करने वाले संस्थानों/संगठनों से बकाया ऋण की वसूली के लिए उचित कदम उठाना चाहिए।

अपूर्ण परियोजनाएँ

- 31 मार्च 2015 तक लोक निर्माण तथा जल संसाधन विभाग के 167 अपूर्ण परियोजनाओं पर ₹ 4,824 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

शासन को अपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने के लिए पहल करना चाहिए जिससे कि आगे और समय एवं लागत बढ़ने से बचा जा सके।

दायित्वों का प्रबंधन

- चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय दायित्व ₹ 31,181 करोड़ था जो पिछले वर्ष के ₹ 24,904 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 13.41 प्रतिशत) की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 14.83 प्रतिशत था।

शासन को भविष्य में राजकोषीय दायित्वों का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात एक निर्धारित स्तर पर बनाए रखना चाहिए।